खण्ड–36, अंक–04
बुधवार, 29 फाल्गुन, शक संवत्, 1934
(20 मार्च, 2013 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2013)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 36 में 05 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	''क''
नियम–310 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग	1–4
प्रश्नोत्तर	4–38
वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण	39–62
निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा–65 के अन्तर्गत निःशक्तजन उत्तराखण्ड (01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक) का वार्षिक प्रतिवेदन तथा निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन (01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक) का वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	63
उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2012 के तृतीय सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, (अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14 (3) अपेक्षानुसार) (सदन के पटल पर रखा गया)	63
जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम हड़बाड एवं पन्द्रहपाली को जोड़ने हेतु लाहुर नदी पर स्टील गार्डर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	63
जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत शेष 20 कि0मी0 निर्माणाधीन गरूड़ चौखुटिया मोटर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	64
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर में ग्राम सभा पृथ्वीपुर के ग्राम खेड़ा पछवा की हजारों बीघा कृषि भूमि को उद्मादी नदी की बाढ़ से हो रही क्षति की रोकथाम हेतु नदी के उत्तरी तटबन्ध बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	64
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा पृथ्वीपुर के बहादुरगढ़ जंगल से बहने वाले बरसाती नाले से हजारों बीघा कृषि भूमि एवं बरोटीवाला–आमबाड़ी मुख्य मार्ग को हो रही अपूर्णीय क्षति की रोकथाम हेतु मुख्य मार्ग एवं बरसाती नाले को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	64–65

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जमनीपुर के ग्राम बरोटीवाला की हजारों बीघा कृषि भूमि को उद्‌मादी नदी की बाढ़ से हो रही क्षति की रोकथाम हेतु नदी के दक्षिणी तटबंध बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	65
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा प्रतीतपुर के ग्राम प्रतीतपुर की हजारों बीघा कृषि भूमि को आसन नदी की बाढ़ से हो रही क्षति की रोकथाम हेतु आसन नदी के दक्षिणी तटबन्ध बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	65
विधायकों एवं पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य सुविधाओं पर विचार कर संस्तुति दिये जाने हेतु लोक सभा की भांति एक सात सदस्यीय समिति गठित करने हेतु अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	65–66
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	66–73
उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित)	73
उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित)	73–74
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (पुरःस्थापित)	74
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	74–75
उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 को वापस लेने की अनुज्ञा (स्वीकृत)	75
उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित) ...	75–77
उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013 (पारित) ...	77–89
उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित)	89–90
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	90
नत्थियाँ	91–96

'क'

<u>उपस्थिति</u>

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अजय भट्ट
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्री आदेश चौहान
7–श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश
8–श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9–श्री विजय बहुगणा
10–श्री गणेश गोदियाल
11–श्री गणेश जोशी
12–श्री चन्दन राम दास
13–श्री चन्द्र शेखर
14–डा0 जीत राम
15–श्री तीरथ सिंह
16–श्री दलीप सिंह रावत
17–श्री दान सिंह भण्डारी
18–श्री दिनेश अग्रवाल
19–श्री दिनेश धनै
20–श्री नवप्रभात
21–श्री नारायणराम आर्य
22–श्री पुष्कर सिंह धामी
23–श्री पूरन सिंह फर्त्याल
24–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
25–श्री प्रदीप बत्रा
26–श्री प्रीतम सिंह
27–श्री प्रीतम सिंह पंवार
28–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
29–श्री प्रेम सिंह
30–श्री फुरकान अहमद
31–श्री बंशीधर भगत
32–श्री मदन कौशिक
33–श्री मदन सिंह बिष्ट
34–श्री मनोज तिवारी
35–श्री मयूख सिंह
36–श्री महावीर सिंह
37–श्री माल चन्द
38–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
39–श्री यतीश्वरानन्द
40–श्री यशपाल आर्य
41–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
42–श्री राजकुमार
43–श्री राज कुमार ठुकराल
44–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
45–श्री राजेश शुक्ला
46–श्री ललित फर्स्वाण
47–श्री विक्रम सिंह नेगी
48–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
49–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
50–श्री विशन सिंह चुफाल
51–श्रीमती शैला रानी रावत
52–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
53–श्री संजय गुप्ता
54–श्री सरवत करीम अंसारी
55–श्रीमती सरिता आर्या
56–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
57–श्री सुबोध उनियाल
58–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
59–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
60–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
61–श्री सुरेन्द्र राकेश
62–श्री हरक सिंह रावत
63–श्री हरबन्स कपूर
64–श्री हरिदास
65–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
66–श्री हेमेश खर्कवाल

बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2013 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट तथा माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री बंशीधर भगत, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री तीरथ सिंह और श्रीमती विजय बड़थ्वाल को छोड़कर सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और जोर–जोर से नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज एक विधायक के धरने पर बैठने से मामला बहुत गम्भीर हो गया है। (घोर व्यवधान)

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सत्तापक्ष के एक माननीय विधायक धरने पर बैठे हैं। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों मामलों की सी0बी0आई0 जांच करायी जाय। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सत्तापक्ष ने नियम–310 की सूचना दी है, इसलिए विषय और गम्भीर हो गया है। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, यह कोई हल्का–फुल्का मामला नहीं है। (घोर व्यवधान) मान्यवर, भाटी आयोग और सिडकुल घोटाला दोनों की जांच सी0बी0आई0 से करायी जाय। मान्यवर सत्तापक्ष की चाल पर एक माननीय विधायक को बैठाया गया है। (घोर व्यवधान) मान्यवर, सरकार अपने विधायक को व्यवस्थित नहीं कर पा रही है। (घोर व्यवधान)

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि अपने माननीय सदस्यों को व्यवस्थित करायें। (घोर व्यवधान) माननीय भट्ट जी, अपने सदस्यों को सीट पर बैठा दीजिये। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, दोनों मामलों को सी0बी0आई0 को सौंपा जाय। यहाँ पर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इसलिए दोनों मामले सी0बी0आई0 को जाने योग्य हैं। मान्यवर, चाहे वह सिडकुल घोटाला हो या चाहे वह भाटी आयोग हो, दोनों मामलों को सी0बी0आई0 को सौंपना चाहिए। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, आप अपने सदस्यों को सीट पर बैठने के लिए कहें। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, दोनों मामलों को सी0बी0आई0 को सौंपना चाहिए। जो ड्रामा सत्तापक्ष के एक माननीय विधायक द्वारा करवाया जा रहा है, और जानबूझकर करवाया जा रहा है.........(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप अपने दल के साथियों को बैठा दीजिए। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो हमारे 18 मामले पूर्व से विजिलेंस को गये हैं, उन मामलों को भी सी0बी0आई0 को सौंपा जाय। मान्यवर, जितने जमीनों के घोटाले यहाँ पर हो रहे हैं, वे सब के सब सी0बी0आई0 को जाने चाहिए। आज सत्तापक्ष ने नाटक करके एक माननीय विधायक को बैठाया है, यह प्रजातंत्र के घोर खिलाफ है। मान्यवर, एक रिपोर्ट यहाँ आती है तो क्या एक विधायक के कहने से एफ0आई0आर0 दर्ज होगी ? यह विचारणीय प्रश्न है। मान्यवर सरकार को, जिसको डिसीजन लेना है, जिसके पास कोई प्रमाण नहीं है.. (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप अपने साथियों को व्यवस्थित करें। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारा निवेदन है कि दोनों मामलों को सी0बी0आई0 को भिजवाया जाय। (घोर व्यवधान) मान्यवर, कोई सवाल नहीं होता है, सवाल इसलिए नहीं होता है,

कि जैसा ड्रामा यहाँ पर कर रहे हैं। सरकार जिसके लिए सक्षम है, सरकार के पास कोई प्रमाण नहीं हैं, सिर्फ राजनीतिक लाभ पाने के लिए विधायक को बैठाया गया है। (घोर व्यवधान) मान्यवर, सरकार के लोगों से मिल करके माननीय विधायक को बैठाया गया है अपनों को बचाने के लिए। चूँकि सिडकुल के मामले में सरकार फंस रही है। मान्यवर, कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया था आज हम उनके उत्तर के जवाब में पूरा रिकार्ड निकाल कर लाये हैं। मान्यवर, जो उन्होंने कहा था कि यह जमीन कभी बिकी नहीं है, कभी लांच नहीं हुई है तो उसके कागज मेरे हाथ में हैं, इसलिए मान्यवर, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मान्यवर, जैसी स्थिति आज पैदा कर दी गयी है, यह स्थिति प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप अपने दल के साथियों को पहले बैठा दीजिए। (घोर व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा आपसे निवेदन है कि दोनों मामलों को सी0बी0आई0 को भेज दें। अगर यही ड्रामा यहाँ पर होना है.......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, मेरा अनुरोध है कि सदन को व्यवस्थित कराएं।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आप कोई निर्देश दे दें, मैं सदन को दो मिनट में व्यवस्थित करा दूँगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

भट्ट जी, आप अपने साथियों को सीट पर तो बैठाईये।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से सत्ता पक्ष बाहर बैठा है, हम कह रहे हैं, भाटी आयोग और सिडकुल घोटाला, दोनों मामलों को सी0बी0आई0 को दे दीजिए। (व्यवधान) आप आदेश दे दीजिए। आपका आदेश आते ही हम पूरे सदन को व्यवस्थित कर देंगे। आप एक ऐतिहासिक काम कीजिए और दोनों मामलों को सी0बी0आई0 को दे दें और जो डेढ़–दो दर्जन मामले पहले से विजिलेंस के पास हैं, उन सबको सी0बी0आई0 को सौंप दें तो कोई मामला नहीं बचेगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि दोनों मामलों को सी0बी0आई0 के पास भेज दीजिए। जिस तरह से सत्ता पक्ष के एक विधायक बाहर गेट पर बैठे हुए हैं...............

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपनी सीट पर बैठें। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो हद हो गयी। एक रिपोर्ट जो पहले बाहर आती है, उसको यहाँ आना नहीं चाहिए था। वह रिपोर्ट यहाँ सदन में आयी और सदन में आने के बाद टीका–टिप्पणी करने के लिए राजनीतिक कारणों से उसको यहाँ पर प्रख्यापित किया गया, उसके बाद एक विधायक को बैठा दिया गया। सत्ता पक्ष की मिलीभगत से ही एक विधायक को बाहर बैठाया गया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि चाहे सिडकुल घोटाला हो, चाहे भाटी आयोग हो, इन दोनों को सी0बी0आई0 को भेजिए। भारतीय जनता पार्टी के समय में जो डेढ़–दो दर्जन मामलों में जाँच हुई थी, उनको भी सी0बी0आई0 को भेजिए, यह हमारा निवेदन है। सदन अभी दो मिनट में व्यवस्थित हो जाएगा। मेरा हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन है, जिस तरह से यहाँ पर नाटक चल रहा है, जिस तरह की नाटकबाजी सत्ता पक्ष में चल रही है, अपने मामले को मिनिमाईज करने के लिए, अपने मामले को कम करने के लिए, जिस तरह से यह सब चल रहा है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है...............(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12:20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

नन्दा देवी राजजात यात्रा हेतु कार्य की प्रगति तथा यात्रियों के रहने व खाने की व्यवस्था

**1–डा0 जीतराम–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विश्व प्रसिद्ध माँ नन्दा देवी राजजात यात्रा के कार्यों की क्या प्रगति है ?

तथा यात्रियों के लिए सरकार रहने व खाने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री नन्दा देवी राजजात के सभी कार्य कब तक पूर्ण किये जायेंगे ?

नोट– उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

पर्यटन मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

नन्दा देवी राजजात, 2013 में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत रु0 1429.93 लाख की धनराशि पर्यटन विभाग द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

नन्दा देवी राजजात यात्रा 2013 हेतु कुम्भ की तर्ज पर विभिन्न व्यवस्थाएं पृथक–पृथक विभागों द्वारा अपने स्तर पर की जायेंगी। जिन्हें नोडल विभाग के तौर पर पर्यटन विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त टैन्ट व्यवस्था हेतु रु0 100.25 लाख जिलाधिकारी चमोली को अवमुक्त कर दिये गये हैं।

नन्दा देवी राजजात यात्रा से सम्बन्धित कार्यो को ससमय पूर्ण किये जाने हेतु कार्यदायी संस्थाओं को समय–समय पर निर्देशित किया जा रहा है।

प्रदेश के नगर निकायों में आई0एच0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों की संख्या तथा लागत निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि तथा पूर्ण आवासों का विवरण

**2–श्री नवप्रभात–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के नगर निकायों में आई0एच0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत आवास स्वीकृत किये गये थे ?

यदि हाँ, तो निकायवार स्वीकृत आवासों की संख्या तथा लागत क्या थी ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यह आवास निर्माण योजना किस वर्ष में प्रारम्भ हुई तथा वर्षवार कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी तथा दिनांक 31–12–2012 तक इनमें से कितने आवासों का निर्माण पूर्ण कर लियाा गया ?

शहरी विकास, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

जी हाँ।

निकायवार स्वीकृत आवासों की संख्या व लागत का विवरण संलग्न है। †

भारत सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2005 में प्रारम्भ की गयी थी। वर्षवार योजना से सम्बन्धित निकायों को अवमुक्त धनराशि तथा दिनांक 31–12–2012 तक पूर्ण हुए आवासों का विवरण संलग्न है। †

---

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 91–92 पर

तारांकित प्रश्न

*1–पुष्कर सिंह धामी–

न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

प्रदेश के विकास खण्डों में कार्यरत ग्राम्य विकास व ग्राम पंचायत अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों का अपने कार्य क्षेत्र से अन्यत्र निवास

*2–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में विकास खण्डों में कार्यरत ग्राम्य विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व अन्य कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र से अन्यत्र निवास करते हैं ?

क्या यह भी सत्य है कि इसके कारण ग्रामीण जनता के रोजमर्रे के कार्य प्रभावित होते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार फील्ड कर्मचारियों का निवास कार्य क्षेत्र में ही सुनिश्चित करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास व पंचायतीराज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बी0सी0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त क्रिकेट एसोसिएशन हेतु प्रयास

*3–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड में कोई भी क्रिकेट एसोसिएशन बी0सी0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त नहीं है, जिस कारण बहुत से प्रतिभावान खिलाड़ी दूसरे प्रदेशों से खेलने को मजबूर हैं ?

क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस प्रयास कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

नियेाजन, सूचना प्रौद्योगिकी खेल व युवा कल्याण मंत्री (श्री दिनेश अग्रवाल)–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

बॉर्डर डेवलपमेन्ट हेतु केन्द्र सरकार से मिलने वाली डेवलपमेन्ट राशि को सीमान्त जनपदों में वितरित करने के मानक

*4–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बार्डर डेवलपमेन्ट हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली डेवलपमेन्ट राशि को किन मानकों के आधार पर प्रदेश के सीमान्त जनपदों को वितरित किया जाता है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सीमान्त क्षेत्रों में डेवलपमेन्ट का कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं हेतु कोई मानक निर्धारित किये गये हैं ?

यदि हाँ, तो किन मानकों के आधार पर कार्यदायी संस्था चयनित की जाती है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

बार्डर डेवलपमेन्ट हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार ही प्रदेश के सीमान्त जनपदों को वितरित की जाती है।

जी हाँ।

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यदायी संस्था चयनित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में दैवीय आपदा में हुई तबाही की पूर्ति हेतु राज्य तथा केन्द्र सरकारों से प्राप्त राशि को आवंटित करने के मानक एवं जनपदवार विवरण

*5–श्री पुष्कर सिंह धामी एवं श्री चन्दन राम दास–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में दैवीय आपदा से प्रदेशभर में हुई भारी तबाही की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा दैवीय आपदा मद में उपलब्ध धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता राशि को जनपदवार आवंटित किये जाने से पूर्व कोई मानक निर्धारित किये गये थे ?

यदि हाँ, तो प्रत्येक जनपद से आपदा की क्षतिपूर्ति हेतु भेजे गये प्रस्तावों तथा मानकों के आधार पर कितनी–कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्रों में आपदा से हुई भारी तबाही की क्षतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व एवं भू–प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाएँ, बाढ़ नियन्त्रण, जलागम प्रबन्धन व सहकारिता मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

प्राकृतिक आपदा की घटनाओं में हुई क्षतियों के परिमाण तथा राज्य आपदा मोचन निधि से देय सहायता हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–32–7/2011–NDM-I, दिनांक 16–01–2012 में निर्धारित मानकों/दिशा निर्देशानुसार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–344/XVIII-(2)/12-4(27)/2010, दिनांक 28–6–2012, एवं शासनादेश संख्या–474/XVIII-(2)/12-4(27)/2010, दिनांक 18–8–2012 के अनुसार जनपदों को धनराशि आवंटित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण इस प्रकार है:–

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि
1.	बागेश्वर	8,07,00,000
2.	पिथौरागढ़	5,09,00,000
3.	अल्मोड़ा	3,09,00,000
4.	नैनीताल	10,03,74,000
5.	चम्पावत	3,07,00,000
6.	ऊधमसिंह नगर	20,14,07,000
7.	देहरादून	4,09,00,000
8.	हरिद्वार	8,26,57,176
9.	टिहरी गढ़वाल	5,65,75,255
10.	चमोली	4,59,00,000
11.	रुद्रप्रयाग	21,07,00.000
12.	उत्तरकाशी	42,87,12,055
13.	पौड़ी गढ़वाल	3,09,00,000
	कुल योग	1,39,13,25,486

वित्तीय वर्ष 2012–13 में आपदा से हुई तबाही की क्षतिपूर्ति हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर को वर्तमान तक क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत के लिए कुल ₹ 1905.07 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है तथा जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त धनराशि तहसीलवार आवंटित की गई है, जिसमें तहसील जसपुर को ₹ 61.64 लाख, काशीपुर को ₹ 175.77 लाख, बाजपुर को ₹ 315.40 लाख, गदरपुर को ₹ 76.71 लाख, किच्छा को ₹ 116.11 लाख, सितारगंज को ₹ 986.70 लाख तहसील खटीमा को ₹ 62.56 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2005 से पूर्व तदर्थ आधार पर नियुक्त क्रीड़ा प्रशिक्षक व सह–क्रीड़ा अधिकारियों की संख्या तथा गैर–विनियमित को विनियमितीकरण का लाभ

*6–श्री मयूख सिंह–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2005 से पूर्व तदर्थ आधार पर कितने क्रीड़ा प्रशिक्षक/सह क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त थे ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इनमें से कितनों को पूर्व सेवाओं का लाभ देते हुए नियमितीकरण किया जा चुका है व कितने क्रीड़ा प्रशिक्षक/सह क्रीड़ा अधिकारी का नियमितीकरण नहीं हुआ है ?

क्या सरकार गैर विनियमितीकरण कर्मचारियों को पूर्व सेवाओं का लाभ देते हुए नियमितीकृत करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

वर्ष 2005 से पूर्व तदर्थ रूप में 05 क्रीड़ा प्रशिक्षक (सहायक प्रशिक्षक) एवं 02 सह क्रीड़ा अधिकारी (उप क्रीड़ाधिकारी) नियुक्त थे।

दो उप क्रीड़ाधिकारियों तथा तीन सहायक प्रशिक्षकों को 07 फरवरी, 2005 तथा दो सहायक प्रशिक्षकों को 28 फरवरी, 2005 से नियमानुसार विनियमित किया गया है, जिन्हें पूर्व सेवा का लाभ नहीं दिया गया। वर्तमान में क्रीड़ा प्रशिक्षक/सह क्रीड़ा अधिकारी के विनियमितीकरण का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में प्रकरण से सम्बन्धित विनियमितीकरण का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

जनपद टिहरी के धनौल्टी अन्तर्गत प्रधानमंत्री–ग्राम–सड़क योजना से स्वीकृत काँधला बैण्ड से महेड़ा–बगोन मोटर मार्ग निर्माण की निविदा का आमन्त्रण

*7–श्री महावीर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत काँधला बैण्ड से महेड़ा–बगोन मोटर मार्ग निर्माण की निविदा कब तक आमंत्रित की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने पर निविदा आमंत्रित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0पी0एल0 परिवारों के चिन्हीकरण हेतु नीति

*8–श्री नवप्रभात–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को चिन्हित करने की क्या नीति है ?

क्या सरकार के सभी विभागों द्वारा एक ही सूची के आधार पर कार्यवाही की जा रही है या विभाग अपनी योजनाओं के लिए बी0पी0एल0 लाभार्थी स्वयं चिन्हित करते हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विभागों के अलग–अलग सूची के आधार पर कार्य किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री प्रीतम सिंह–

भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को चिन्हित किया जाता है।

इस सम्बन्ध में सूचना अन्य विभागों से प्राप्त की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नये जिलों के सृजन हेतु पुनर्गठन आयोग का गठन, माँगी गई संस्तुतियों की संख्या एवं निर्धारित समय–सीमा

*9–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नये जिलों के सृजन हेतु पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है ?

यदि हाँ, तो कितने जिलों की संस्तुति आयोग से मांगी गई है ?

तथा आयोग द्वारा संस्तुति हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

आयोग को जनता/जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त कर जिला इकाईयों की पुनर्गठन की मांगों का विश्लेषण, जिला इकाईयों के गठन हेतु नये मानकों का निर्धारण तथा इसके अनुरूप जिला इकाईयों के पुनर्गठन से सम्बन्धित संस्तुतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व दिया गया है।

जिलों की संख्या एवं आयोग द्वारा संस्तुतियों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

जनपद बागेश्वर अन्तर्गत दूरस्थ क्षेत्रों को गैस वितरण की सुविधा

*10–श्री चन्दन राम दास–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गरूड़ गैस गोदाम खुलने के पश्चात् दूरस्थ क्षेत्रों को भी गैस वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ?

यदि हाँ, तो मैगडी स्टेट, हवील कुलवान, शान्ति बाजार, पासतोली, लखनी, जखेड़ा जैसे दूरस्थ स्थानों पर गैस वितरण हेतु वाहन द्वारा गैस वितरण का कार्य किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

वर्तमान में मैगडी स्टेट, हवील कुलवान, शान्ति बाजार, पासतोली, लखनी, जखेड़ा जैसे दूरस्थ स्थानों में गैस वितरण हेतु, वाहन रोड पास नहीं होने के कारण अभी वाहन द्वारा गैस का वितरण नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

*11–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

द्वितीय बुधवार के तारा0 17 में स्थाना0।

जनपद टिहरी में बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 के बाद शामिल पात्र व्यक्तियों के स्मार्ट कार्ड बनाने पर विचार

*12–श्री महावीर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 के बाद पुनरीक्षण सर्वेक्षण करवाया गया था ?

क्या यह सत्य है कि पुनरीक्षण में शामिल पात्र व्यक्तियों के नाम बी0पी0एल0 सूची में शामिल किये गये हैं लेकिन स्मार्ट कार्ड बनाने वाले एजेन्सी के पास पुरानी सूची है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नई सूची के अनुसार स्मार्ट कार्ड बनाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

जी हाँ।

नई बी0पी0एल0 सूची सरकार द्वारा सार्वजनिक कर दी गयी है।

नई सूची के अनुसार स्मार्ट कार्ड बनाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राशन कार्डों की श्रेणियाँ व उपभोक्ताओं की संख्या तथा राशन व मिट्टी के तेल की उपलब्धता के मानक

*13–श्री नवप्रभात–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कितने प्रकार के राशन कार्ड हैं तथा प्रत्येक श्रेणी के राशन कार्ड के राज्य में कितने उपभोक्ता हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रत्येक श्रेणी के लिए राशन तथा मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के क्या प्राविधान हैं ?

क्या उपभोक्ता श्रेणीवार राशन तथा मिट्टी का तेल केन्द्र द्वारा उपलब्ध आवंटित किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो उपभोक्ता श्रेणीवार राशन उपलब्ध कराने के लिए क्या राज्य सरकार द्वारा भी कोई व्यवस्था की गयी है ?

श्री प्रीतम सिंह–

उत्तराखण्ड राज्य में, वर्तमान में, तीन प्रकार (ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय श्रेणी) के राशन कार्ड प्रचलित हैं। राज्य में 20,72,573 ए0पी0एल0 कार्ड धारक, 3,07,074 बी0पी0एल0 कार्ड धारक एवं 1,90,926 अन्त्योदय कार्ड धारक हैं।

प्रत्येक श्रेणी के राशन कार्डधारकों के लिए राशन तथा मिट्टी तेल वितरण स्केल निम्न प्रकार है–

योजना का नाम	जिन्स का प्रकार	वितरण स्केल (प्रतिकार्ड / प्रतिमाह)
ए0पी0एल0	गेहूँ	10 किग्रा0
	चावल	10 किग्रा0
बी0पी0एल0	गेहूँ	10.250 (हरिद्वार हेतु 22.860 किग्रा0) मांग के अनुसार शासन द्वारा पूर्व से निर्धारित
	चावल	24.750 (हरिद्वार हेतु 12.140 किग्रा0) मांग के अनुसार शासन द्वारा पूर्व से निर्धारित
अन्त्योदय	गेहूँ	10.460 किग्रा0
	चावल	24.540 किग्रा0
	मिट्टी तेल	बिना कनैक्शन धारक का पर्वतीय क्षेत्रों में 07 लीटर प्रति कार्ड एवं मैदानी क्षेत्रों में 05 लीटर प्रति कार्ड

राशन श्रेणीवार एवं मिट्टी तेल राज्य को आवंटित किया जाता है।

जी हाँ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के विभिन्न जिलों के आपदाग्रस्त ग्रामों के पुनर्वास हेतु नीति

1—श्री मदन कौशिक—

क्या पुनर्वास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के कितने आपदा ग्रस्त ग्रामों को पुनर्वास की आवश्यकता है ?

क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई समयबद्ध योजना बनायी गई है ? यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य—

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में 233 आपदाग्रस्त ग्रामों को प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनशील चिन्हित किया गया है। इनमें से पुनर्वास के लिए ग्रामों के चिन्हींकरण हेतु जिलाधिकारियों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

आपदा प्रभावित परिवारों / ग्रामों से पुनर्वास हेतु पुनर्वास नीति का निर्धारण किया गया है तथा राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत केन्द्र सरकार से विशेष सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना

2—श्री प्रेम सिंह—

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापन किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद देहरादून स्थित नवनिर्मित राजीव गाँधी मैदान के विस्तार एवं सुधारीकरण की घोषणा

3–श्री गणेश जोशी–

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि दिनांक 20 जुलाई, 2012 को राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम के नवनिर्मित मुख्यालय भवन के शुभारम्भ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आई0टी0पार्क0 के निकट नवनिर्मित राजीव गाँधी मैदान के विस्तार एवं सुधारीकरण की घोषणा की गयी थी ?

यदि हाँ, तो विभाग द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप कार्य शुरू कर लिया गया है ?

यदि हाँ, तो कितना कार्य पूर्ण हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त बाड़वाला –जूड्डों मार्ग को भारी वाहनों के यातायात हेतु बनाने के लिये की गई कार्यवाही तथा स्वीकृत धनराशि

4–श्री नवप्रभात–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के यमुना घाटी क्षेत्र को जनपद उत्तरकाशी के यमुना घाटी क्षेत्र से जोड़ने वाला बाड़वाला–जूड्डों मार्ग दैविक आपदा से क्षतिग्रस्त हुआ है ?

यदि हाँ, तो इस मार्ग को भारी वाहनों के यातायात के लिये उपयुक्त बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आपदा राहत मद के अन्तर्गत कितनी धनराशि इस मार्ग के लिए स्वीकृत की गयी है ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

बाड़वाला–जूड्डों मार्ग की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कि लिए आपदा राहत मानकों के अधीन वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है।

जनपद टिहरी के धनौल्टी में प्रधानमंत्री–ग्राम–सड़क–योजना की सुविधा से विहीन ग्रामों की संख्या एवं इस योजना से जोड़े जाने हेतु प्रस्तावित ग्राम

5–श्री महावीर सिंह–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में कितने ग्राम हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अभी तक नहीं जुड़े हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ऐसे कौन–कौन गाँव प्रस्तावित हैं जिनको सरकार योजना से जोड़ने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मानकों में आने वाले 12 ग्राम ऐसे हैं, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अभी तक नहीं जुड़े हैं।

निम्न 12 ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना प्रस्तावित है :–

(1) दबाली (2) बगोन (3) महेडा (4) झकोगी ब्राह्मणों की (5) झकोगी किलवाणों की (6) कन्सूण (7) लगडासूं (8) कोल्टी (9) डांडाकी वैली (10) कुण्ड (11) सतेंगल (12) रिंगालगाड़

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर की कैलाश एवं देवहा नदियों में बाढ़ से टुकड़ी, बिचुरा आदि गाँवों की कृषि भूमि का कटाव रोकने हेतु योजना

6–श्री प्रेम सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बरसात के दिनों में कैलाश एवं देवहा नदी में बाढ़ आने से गाँव टुकड़ी, बिचुरा, नलई, साधूनगर, डोहरी, बिचपुरी, खैराना के किसानों की सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि का कटाव रोकने हेतु सरकार योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

देवहा नदी से ग्राम टुकड़ी–बिचवा की बाढ़ सुरक्षा हेतु धनराशि ₹ 149.00 लाख की योजना एवं अनुसूचित बस्ती डोहरी में बाढ़ सुरक्षा हेतु ₹ 64.26 लाख की योजना वर्ष 2011–12 में पूर्ण की जा चुकी है। ग्राम साधुनगर, चमरपुरा, कल्याणपुर, नकुलिया, डोहरा–अंजनिया, चीकाघाट, रसोईयापुर, सलमती ग्रामों हेतु ₹ 349.03 लाख की बाढ़ सुरक्षा योजना स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत उक्त ग्रामों में बाढ़ सुरक्षा कार्य प्रगति में है। ग्राम तुर्का–तिसौर बिचपुरी एवं खैराना गाँव को बाढ़ से बचाने हेतु एक योजना धनराशि ₹ 329.50 लाख स्वीकृत की जा चुकी है। ग्राम नलई हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर में साई, कोसी व मंशा नदियों से भू–कटाव के कारण किसानों की कम होती जमीनों की सुरक्षा हेतु कार्य योजना

7–श्री अजय टम्टा–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर क्षेत्र में बरसात में साई, कोसी व मंशा नदियों के कारण प्रत्येक वर्ष भू–कटाव से किसानों की जमीनें कम होती जा रही हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार भू–कटाव के कारण किसानों की कम होती जमीनों की सुरक्षा हेतु कोई ठोस योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

सोमेश्वर क्षेत्र में मंशा नदी से हो रहे भू–कटाव को रोकने हेतु 04 सं0 योजनायें मनरेगा मद के अन्तर्गत तैयार की गयी हैं। साई एवं कोसी नदी से हो रहे भू–कटाव की रोकथाम हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रस्तावित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा के सोमेश्वर में कुल संचालित गूलों की संख्या व शेष गूलों के संचालित न होने के कारण

8—श्री अजय टम्टा—

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में कितनी सिंचाई गूलें हैं व वर्तमान में कितनी योजनाएं संचालित हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जो गूलें संचालित नहीं हैं उनका क्या कारण है ?

श्री प्रीतम सिंह—

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में विभाग द्वारा कुल 262 सिंचाई योजनाओं (गूलों) का निर्माण किया गया है, जिसमें से 184 योजनायें पूर्ण रूप से एवं 24 योजनायें आंशिक रूप से चालू हैं।

54 योजनाएं दैवीय आपदा एवं रोड कटिंग के मलबे से क्षतिग्रस्त होने के कारण संचालित नहीं हैं।

जनपदवार जिला योजना हेतु वर्ष 2012—13 में अनुमोदित बजट के सापेक्ष आवंटित धनराशि का जनपदवार विवरण

9—श्री चन्दन राम दास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपदवार जिला योजना में कितनी—कितनी धनराशि का बजट वर्ष 2012—13 में अनुमोदित किया गया है तथा अनुमोदित बजट के सापेक्ष शासन द्वारा जिला योजना मद में जनपदों में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 2012—13 में अब तक के आवंटन की धनराशि व प्रतिशत का विवरण जनपदवार प्रस्तुत करवायेंगे ?

श्री यशपाल आर्य—

वित्त वर्ष 2012—13 में जिला योजना मद के अन्तर्गत सिंचाई कार्यों हेतु कुल ₹ 3008.53 लाख का बजट अनुमोदित है। जिला योजना के अन्तर्गत ₹ 2927.33 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई।

विवरण संलग्न। †

---

† देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं0 93 पर

प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत जिला हरिद्वार के नारसन में वर्ष 2012–13 में संचालित योजनाएं तथा लाभान्वित मजदूरों का तत्सम्बन्धी विवरण

10–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत जिला हरिद्वार के नारसन विकासखण्ड में वर्ष 2012–2013 में कितनी योजना संचालित की गयीं और उन योजनाओं से कितने मजदूरों को लाभ मिला एवं तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

श्री प्रीतम सिंह–

जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड नारसन में वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल 390 कार्य संचालित किये गये, जिससे 2507 श्रमिक परिवारों को रोजगार का लाभ मिला।

उक्त का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	अनुमोदित कार्य	किये गये कार्यों की सं0	कुल व्यय धनराशि (लाख रु0 में)
1.	जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्य	33	6.50
2.	लघु सिंचाई कार्य	13	18.34
3.	लघु सीमान्त कृषकों की भूमि पर सिंचाई सुविधा कार्य	122	32.60
4.	परम्परागत जल स्रोतों का नवीनीकरण कार्य	6	2.00
5.	भूमि विकास कार्य	78	38.66
6.	बाढ़ नियन्त्रण एवं सुरक्षा कार्य	11	21.45
7.	ग्रामीण सर्वमौसम सम्पर्क सड़क कार्य	127	58.45
	कुल योग	390	178.00

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से वर्तमान तक कम्पनी या ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों/कर्मचारियों का जिलेवार विवरण

11–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों को रखा जाता है ?

यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों, कर्मचारियों को किन–किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया ? क्या मंत्री जी उनका जिलेवार पूर्ण विवरण देंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

विभाग में वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कम्पनी तथा ठेकेदारों द्वारा लगाये गये श्रमिकों, कर्मचारियों का जिलेवार विवरण संलग्न है। †

संलग्न विवरण की तालिका के कॉलम–3 के अनुसार †

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के लैन्सडौन में रसोई गैस वितरण हेतु नये स्थान का चिन्हीकरण

12–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रसोई गैस वितरण हेतु नये स्थान चिन्हित करने की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के तत्काल बाद।

प्रश्न ही नहीं उठता।

---

† देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ सं0 94–96 पर

जनपद पौड़ी अन्तर्गत पट्टी हल्दूखाता, मोटाढांग, सुखरौ आदि क्षेत्रों में भूमि का क्रय–विक्रय

13–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील कोटद्वार क्षेत्र के पट्टी हल्दूखाता, मोटाढांग, देवी, सुखरौ एवं सनेह के अन्तर्गत एस0सी0, एस0टी0 की भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा नियम विरूद्ध भूमि के क्रय–विक्रय हेतु कोई कार्यवाही की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ, तहसील कोटद्वार के लेखपाल क्षेत्र हल्दूखाता, मोटाढांग, देवी, सुखरौ एवं सनेह के अन्तर्गत एस0सी0, एस0टी0 की भूमि के क्रय विक्रय के 10 मामले प्रकाश आये हैं।

यह सभी प्रकरण सक्षम न्यायालय में निर्णय हेतु विचाराधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश गठन से वर्तमान तक सिंचाई विभाग द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच एवं निम्न स्तर के कार्यों पर की गई कार्रवाई

14–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश गठन के बाद से अब तक सिंचाई विभाग के द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखने हेतु कितने कार्यों की जाँच की गई है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि निम्न स्तर के पाये गये कार्यों की संख्या कितनी है व उनमें सरकार ने क्या–क्या कार्रवाई की है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता परखने हेतु कुल 132 संख्या कार्यों की जाँच की गयी है।

निम्न स्तर की गुणवत्ता के कार्यों की संख्या शून्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश गठन से वर्तमान तक लघु सिंचाई विभाग द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच एवं निम्न स्तर के कार्यों के दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई

15–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश गठन से अब तक लघु सिंचाई विभाग के द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखने हेतु कितने कार्यो की जाँच की गई एवं जाँच के बाद निम्न स्तर के पाये गये निर्माण कार्यों हेतु सरकार ने दोषियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

प्रदेश गठन से अब तक लघु सिंचाई विभाग द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखने हेतु कुल 209 योजनाओं की जाँच की गई, जाँचोपरान्त 76 योजनाओं में निर्धारित मानक से निम्न स्तर के कार्यों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये 29 अभियन्ताओं को निलम्बित किया गया, 25 अभियन्ताओं से रुपया 81,92,539.00 की वसूली के आदेश पारित किये गये, 13 अभियन्ताओं को कठोर चेतावनी, 8 अभियन्ताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा 12 अभियन्ताओं को परनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा राज्य में पंजीकृत एन0जी0ओ0 के सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों का विवरण

16–श्री नवप्रभात–

क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा राज्य में पंजीकृत एन0जी0ओ0 का कोई सर्वेक्षण कराया गया है ?

यदि हाँ, तो इस सर्वेक्षण में क्या तथ्य सामने आये ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हाँ।

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सी0एस0ओ0) भारत सरकार के दिशा–निर्देशों एवं मार्गदर्शन में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत दिनांक 31–03–2008 तक पंजीकृत गैर लाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्य/आंकड़े निम्न प्रकार हैं:–

1. 31 मार्च, 2008 तक पंजीकृत संस्थाओं की संख्या 49954 (35462 ग्रामीण तथा 14492 शहरी) रही।
2. सर्वेक्षित जनपदों (पौड़ी तथा अल्मोड़ा को छोड़कर) में पंजीकृत कुल 40488 संस्थाओं के सापेक्ष 11167 संस्थायें ज्ञात (प्रतिशत 27.58) हो सकीं।

3. अधिकतम (34.08 प्रतिशत) संस्थायें सामाजिक सेवाओं में कार्यरत हैं।

4. प्रति संस्था कार्मिकों (वैतनिक तथा स्वयं सेवक) की औसत संख्या का आंकलन 14.8 प्राप्त हुआ।

5. ज्ञात संस्थाओं द्वारा संदर्भित वर्ष (2007–08) में ₹ 18579.6 लाख का उत्पादन (सेवा एवं वस्तु) तथा ₹ 11190.3 लाख का मूल्य–वर्धन किया गया।

6. संस्थाओं की आय ₹ 23338.1 लाख रही तथा उनके द्वारा ₹ 18775 लाख का व्यय किया गया।

7. संस्थाओं द्वारा ₹ 2229.6 लाख का निवेश विभिन्न परिसम्पत्तियों के सृजन में किया गया।

आंकड़े सी0एस0ओ0 को प्रेषित किये गये और उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सेटेलाइट अकाउन्ट को तैयार किया गया है। प्रतिवेदन सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वैबासाइट htt:/mospi.nic.in पर प्रकाशित है।

राज्य गठन से 31 दिसम्बर, 2012 तक विकास खण्डों का जनपदवार, तहसीलवार विवरण व उनके पुनर्गठन हेतु नीति

17–श्री नवप्रभात–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य गठन के समय से दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक प्रदेश में जनपदवार, तहसीलवार विकास खण्डों का विवरण क्या है ?

क्या सरकार राज्य में विकास खण्डों के पुनर्गठन पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

यदि नहीं, तो विकास खण्ड पुनर्गठन पर विचार न करने का क्या कारण है ?

श्री प्रीतम सिंह–

राज्य गठन तक कुल 95 विकास खण्ड सृजित थे। राज्य गठन के उपरान्त से अब तक किसी भी नये विकास खण्ड का सृजन नहीं किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना आयोग भारत सरकार द्वारा नये विकास खण्डों के सृजन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने में असमर्थता व्यक्त की गयी है।

18–श्री नवप्रभात–

प्रथम गुरूवार के अता0 45 में स्था0

प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक केन्द्र योजना में 90:10 के अनुपात में धन आवंटन हेतु किये गये प्रयास

19–श्री मदन कौशिक–

क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक केन्द्रीय योजना में 90:10 के अनुसार धन आवंटन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या विशेष प्रयास किये हैं ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

उत्तराखण्ड राज्य को सभी केन्द्र पोषित योजनाओं में 90:10 के अनुपात में धन आवंटन नहीं हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन0डी0सी0) की विभिन्न बैठकों में कई बार इस प्रकरण को उठाया गया है।

लघु सिंचाई विभाग में वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से वर्तमान तक कम्पनी या ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों/कर्मचारियों का जिलेवार विवरण

20–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों को रखा जाता है ? यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों, कर्मचारियों को किन–किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया ?

क्या सरकार उनका जिलेवार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई, देहरादून के कार्यालय की सुरक्षा, चौकीदारी हेतु निविदायें आमंत्रित कर सुन्दरभूमि सिक्यूरिटी गार्ड कम्पनी से 03 गार्डों को लगाया गया है।

देहरादून मुख्यालय में उक्तानुसार 03 गार्ड रखे गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों में सहकारी बैंकों की स्थापना के मानक एवं ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सीमान्त क्षेत्र देवरी में सहकारी बैंक की स्थापना पर विचार

21—श्री पुष्कर सिंह धामी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के किन—किन सीमान्त क्षेत्रों में सहकारी बैंक स्थापित किये गये हैं ?

सीमान्त क्षेत्रों में सहकारी बैंक स्थापित किये जाने के आधार क्या हैं ?

क्या सरकार जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा के ब्लाक मुख्यालय से लगभग 30 कि0मी0 की दूरी पर 40 हजार आबादी वाले सीमान्त क्षेत्र देवरी में सहकारी बैंक स्थापित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य—

राज्य के सीमावर्ती जनपदों चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ तथा ऊधमसिंह नगर में जिला सहकारी बैंक स्थापित हैं।

नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक से सहमति प्राप्त होने के पश्चात् जनपद में सहकारी बैंक स्थापित किये जाते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर में पूर्व से ही जिला सहकारी बैंक स्थापित है तथा वर्तमान में ग्राम देवरी से लगभग 8 कि0मी0 दूर स्थान झनकट में जिला सहकारी बैंक लि0 ऊधमसिंह नगर की शाखा कार्यरत है।

उत्तरकाशी के पुरोला में यमुना प्राधिकरण बनाने पर विचार

22—श्री मालचन्द—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत गंगा प्राधिकरण के अनुरूप यमुना प्राधिकरण बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं। सिंचाई विभाग के अन्तर्गत यमुना प्राधिकरण बनाये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत ग्राम पदमपुर सिम्मलचौड़ में राजस्व विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा धारकों के विरूद्ध की गई कार्रवाई

23–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील कोटद्वार के ग्राम पदमपुर सिम्मलचौड़ में राजस्व विभाग की कितनी भूमि है ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि राजस्व विभाग की उक्त भूमि पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जों को हटाने के लिए कोई कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के तसहील कोटद्वार के लेखपाल क्षेत्र सुखरौ के अन्तर्गत ग्राम पदमपुर में राजस्व विभाग के नाम (पटवारी चौकी) पर 0.077 है0 भूमि तथा ग्राम सिम्मलचौड़ में राजस्व विभाग के नाम पर कोई भूमि दर्ज नहीं है। ग्राम सिम्मलचौड़ में उत्तराखण्ड सरकार के नाम कुल 13.020 है0 भूमि दर्ज है।

ग्राम सिम्मलचौड़ की उक्त भूमि में से कुछ भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है। कुछ अवैध कब्जेदारों को बेदखली नोटिस जारी किये गये हैं एवं अन्य कब्जेदारों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रसोई–गैस पर प्रदत्त छूट हेतु राष्ट्रीयकृत ग्रामीण बैंकों में खाता खोलने की अनिवार्यता

24–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में रसोई गैस पर दी जा रही छूट के लिए केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही खाता खोलना अनिवार्य है ?

यदि हाँ, तो क्या प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों को भी अधिकृत किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिरौरागढ़ के स्यालतड़ धिघराणी नहर के बन्द होने के कारण तथा नहर के पुनः चालू होने का सम्भावित समय

25–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत स्यालतड़ धिघराणी नहर कब से बन्द है तथा बन्द होने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार इस बन्द नहर को पुनः चालू करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

स्यालतड़ धिघराणी नहर वर्ष 2007 से बन्द है। नहर का अधिकांश भाग भू–स्खलन से क्षतिग्रस्त है।

जी हाँ।

नहर की मरम्मत हेतु दैवीय आपदा मद में ₹ 32.30 लाख का आगणन तैयार कर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को प्रेषित किया गया है। धनावंटन होने पर नहर की पूर्ण मरम्मत की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत द्वयोक्ली, खोली आदि हेतु रामगंगा नदी से लिफ्ट सिंचाई योजना बनाने पर विचार

26–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम द्वयोक्ली, खोली, धिमतड, चनकोट, करेला, टोपराधार ग्राम पंचायत हेतु सिंचाई के क्या साधन हैं?

यदि नहीं, तो क्या सरकार राम गंगा नदी से लिफ्ट सिंचाई योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक योजना बन जायेगी ?

श्री यशपाल आर्य–

वर्तमान में इन क्षेत्रों की सिंचाई हेतु कोई योजना नहीं है।

जी हाँ।

स्वीकृति के उपरान्त।

जनपद टिहरी अन्तर्गत थत्यूड़ में गैस एजेन्सी खोलने पर विचार

27–श्री महावीर सिंह–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत थत्यूड़ में गैस एजेन्सी खोलने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार गैस एजेन्सी हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त सम्बन्धित तेल कम्पनी द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देहरादून के मसूरी अन्तर्गत कफलानी, मसराना तथा सुवाखोली आदि ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेण्डर की होम डिलीवरी

28–श्री गणेश जोशी–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि मसूरी के कफलानी, मसराना तथा सुवाखोली आदि ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेण्डर की होम डिलीवरी न होने से ग्रामीण जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कफलानी, मसराना, सुवाखोली आदि ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेण्डर की होम डिलीवरी किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

तेल कम्पनियों की मार्केटिंग गाइड लाईन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में होम डिलीवरी का प्राविधान न होने के कारण, कफलानी, मसराना, सुवाखोली आदि क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु सड़क के किनारे वितरण स्थल निर्धारित कर गैस का वितरण कराया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद देहरादून के सहसपुर अन्तर्गत विभिन्न नदियों एवं नालों पर बाढ़ सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन की प्रगति एवं कार्य प्रारम्भ का सम्भावित समय

29–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आसन नदी, दरेड नदी, नून एवं निमी नदी, शीतला नदी, सोरना नदी, कडवा नाला, पथरोली नाला, शाकम्बरी नाला, कल्लू वाला राव, चोर खाला नदियों पर बाढ़ सुरक्षा कार्य करने की सरकार की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो योजना के क्रियान्वयन की क्या प्रगति है और योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

जनपद देहरादून के सहसपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दरेड़ नदी, सोरना नदी व कड़वा नाले से क्रमशः ₹ 100.51 लाख, ₹ 24.78 लाख, ₹ 8.16 लाख तथा ₹ 84.79 लाख की बाढ़ सुरक्षा की योजनायें निर्मित की जा चुकी हैं। आसन नदी के बांये किनारे पर ग्राम रामपुर की बाढ़ सुरक्षा योजना ₹ 77.10 लाख निर्माणधीन है। आसन नदी, दरेड नदी, नून एवं मिनी नदी, शीतला नदी, सोरना नदी, कड़वा नाला, पथरोली नाला, शाकम्बरी नाला, कल्लू वाला राव, चोर खाला नदी/नालों से अति संवेदनशील आबादी/कृषि क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रस्तावित हैं।

जनपद देहरादून के सहसपुर में सिंचाई सुविधाओं के सृजन हेतु कार्यवाही

30–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के सहसपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के सृजन की मांग कहाँ–कहाँ है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन सुविधाओं के सृजन के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जनपद देहरादून के सहसपुर विधान सभा क्षेत्र में नहर एवं नलकूपों के माध्यम से सिंचाई सुविधायें सृजन किये जाने की मांग ग्राम शंकरपुर, मिलमिलचौकी, शंकरपुर वार्ड नं0 12 कारबारी, रतनपुर, परवल, नया गाँव, रामपुर कला, कॅचीवाला, मल्हान, रामपुर कलां, डोबरी, छरवा, राजावाल, धूमनगर (रामसावाल), तिलवाड़ी, सेन्ट्रल होप टाउन लक्ष्मणपुर, ईस्ट होप टाउन हरिपुर, सैनिक बस्ती, गढ़वाली बस्ती, कांसवाली कोठरी, मझौन, सोरना, बडवा एवं मलेथा (कुल 25 ग्रामों) में है।

ग्राम सोरना, डोभरी, बडवा एवं मलेथा ग्रामों की 50 हैक्टे कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बासमती खादर एवं दुनकी नहर निर्माण की योजना ए0आई0बी0पी0 मद में लागत ₹ 132.87 लाख तैयार कर ली गई है। 18 ग्रामों में नाबार्ड वित्त पोषित नलकूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 03 ग्रामों में नलकूप निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत के लोहाघाट नगर में खेल स्टेडियम बनाने पर विचार

31–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत लोहाघाट नगर में खेल स्टेडियम बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

जी हाँ।

स्टेडियम निर्माण हेतु चिन्हित भूमि खेल विभाग को हस्तांतरित होने के उपरान्त स्टेडियम निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत के लोहाघाट में कोलीढेक झील का निर्माण

32–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत कोलीढेक झील के निर्माण की वित्तीय स्वीकृत जारी हो चुकी है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना तैयार कर ली गई है, जिसे स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा में शारदा नहर के दोनों ओर जीर्ण–शीर्ण हो चुकी सड़क का पुनर्निर्माण

33–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के अधीन जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में स्थित शारदा नहर के दोनों ओर जीर्णशीर्ण हो चुकी सड़क के पुनः निर्माण हेतु सरकार कोई प्रयास करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश सरकार से शीघ्र कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा के अति दुर्गम गाँव बग्गाचव्वन को राजस्व ग्राम घोषित करने पर विचार

34–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अति दुर्गम गाँव बग्गाचव्वन को राजस्व ग्राम घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बग्गाचव्वन गाँव को राजस्व ग्राम घोषित किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

बग्गाचव्वन गाँव पूर्ण रूप से वन विभाग की भूमि पर स्थित होने के कारण इसे राजस्व ग्राम बनाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। वन भूमि के राजस्व भूमि में परिवर्तित हो जाने के उपरान्त ही राजस्व ग्राम बनाये जाने की कार्यवाही सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद नैनीताल के भीमताल अन्तर्गत ओखलकाण्डा में रामगढ़, धारी व भीमताल में वर्ष 1993 में दैवीय आपदा से लधिया नदी के क्षतिग्रस्त पुल, नहरों, स्कूलों व सड़कों की मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि तथा रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही

35–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भीमताल विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड ओखलकाण्डा के अन्तर्गत वर्ष 1993 में आयी दैवीय आपदा से लधिया नदी से बने पैदल पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से क्षेत्रीय लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड रामगढ़, धारी व भीमताल में अब तक आयी दैवीय आपदा से कई नहरें, स्कूल व सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पुलों, स्कूलों व सड़कों की मरम्मत के लिये अभी तक कितना धन आवंटन किया गया है तथा सरकार द्वारा रुके हुए कार्यों के लिए शीघ्र ही कोई कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

लधिया नदी में आयी बाढ़ से पैदल पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड रामगढ़ धारी व भीमताल में बाढ़ व अतिवृष्टि से विभिन्न सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति हुई है। परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु जिला स्तर से लोक निर्माण विभाग को ₹ 124.89 लाख तथा सिंचाई विभाग को ₹ 7.57 लाख की धनराशि आवंटित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में बी0पी0एल0 राशन कार्डों एवं विशेष योजनाओं तथा अन्त्योदय आदि के रूप में चिन्हित परिवारों की संख्या

36–श्री नवप्रभात–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के राशन कार्डों की संख्या क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इनमें से कितने परिवार विशेष योजनाओं तथा अन्त्योदय आदि के रूप में चिन्हित किये गये हैं ?

श्री प्रीतम सिंह–

उत्तराखण्ड राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के राशन कार्डों की संख्या 4,98,000 है।

राज्य में माह फरवरी, 2013 तक बी0पी0एल0 योजना में 3,07,074 एवं अन्त्योदय योजना में 1,90,226 परिवार चिन्हित हैं।

37–श्री अजय टम्टा–

प्रथम गुरूवार के अता0 46 में स्था0

प्रदेश में जनपदवार सूचीबद्ध गैर–राजस्व ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने पर विचार

38–श्री दलीप सिंह रावत एवं डा0 जीत राम–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जनपदवार सूचीबद्ध कितने गैर राजस्व ग्राम हैं ?

और इन्हें राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान में प्रदेश में जनपदवार गैर राजस्व ग्राम निम्नवत् हैं:–

जनपद	संख्या
01. देहरादून	09
02. टिहरी गढ़वाल	07
03. चमोली	06
04. नैनीताल	04
05. ऊधमसिंह नगर	04
06. पौड़ी गढ़वाल	00
07. बागेश्वर	00
08. चम्पावत	00
09. अल्मोड़ा	00
10. पिथौरागढ़	00
11. उत्तरकाशी	08
12. रुद्रप्रयाग	00
13. हरिद्वार	06
कुल	44

नये राजस्व ग्राम गठित किये जाने हेतु शासन स्तर पर मानकों के निर्धारण की कार्यवाही गतिमान है। मानकों के निर्धारण के पश्चात् नियमानुसार नये राजस्व ग्राम गठित करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत जगवा, देवा तथा परवीन नदियों से हो रहे भूमि कटाव को रोकने हेतु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं को आरम्भ करने हेतु उठाये गये कदम

39—श्री पुष्कर सिंह धामी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में जगवा नदी, देवा नदी एवं परवीन नदी से हो रहे भूमि कटाव को रोकने के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं को आरम्भ किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो उपरोक्त नदियों से हो रही क्षति की रोक—थाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे ?

श्री यशपाल आर्य—

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में पूर्ववर्ती सरकार के समय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत देवहा नदी से ग्राम मुहम्मदगंज की बाढ़ सुरक्षा योजना ₹ 169.18 तथा परवीन नदी से ग्राम ठाहा ठाकी, सुखराम नगर की बाढ़ सुरक्षा योजना ₹ 202.53 लाख के अन्तर्गत ग्राम प्रतापपुर में नदी में अतिक्रमण का चिन्हीकरण जिला प्रशासन से कराया जा रहा है, जिसके पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। जगबूड़ा नदी से बाढ़ सुरक्षा हेतु कोई योजना पूर्ववर्ती सरकार की अवधि में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में परिवार के बालिग सदस्य को परिवार से अलग राशन कार्ड के नियम तथा विघटित परिवारों को राशन कार्ड स्वयमेव उपलब्ध कराने की व्यवस्था

40—श्री नवप्रभात—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में किसी भी परिवार के बालिग सदस्य के परिवार को अलग राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने के नियम क्या हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार द्वारा विघटित परिवारों को राशन कार्ड स्वयमेव उपलब्ध करने की कोई व्यवस्था की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

किसी भी बालिग सदस्य को परिवार से अलग रहने की दशा में राशन कार्ड बनवाने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा, जिसे शहरी क्षेत्रों में, जिला पूर्ति कार्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्ड कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित जाँच पत्र में दिये गये विवरण एवं अन्य अभिलेखों की सम्यक् जाँच करने के उपरान्त शहरी क्षेत्रों के जिला पूर्ति अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

41–श्री सरवत करीम अंसारी–

द्वितीय गुरूवार के अता0 86 में स्था0

जनपद हरिद्वार में बी0पी0एल0 परिवार हेतु लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के तहत लाभान्वित परिवारों की संख्या एवं योजना पर प्रतिमाह होने वाला व्यय

42–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बी0पी0एल0 परिवार हेतु लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के तहत जिला हरिद्वार में कितने बी0पी0एल0 परिवारों को लाभ प्राप्त हो रहा है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार द्वारा प्रतिमाह इस योजना पर कितना व्यय हो रहा है ?

श्री प्रीतम सिंह–

जिला हरिद्वार में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 38.089 बी0पी0एल0 परिवारों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

सरकार द्वारा बी0पी0एल0 योजना पर प्रतिमाह रु0 8,65,72,723.00 (रु0 आठ करोड़ पैसठ लाख बहत्तर हजार सात सौ तेईस मात्र) का व्यय हो रहा है।

प्रदेश में वर्ष 2013 में गेहूँ का निर्धारित समर्थन मूल्य

43–श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा वर्ष 2013 में गेहूँ का समर्थन मूल्य कितने रू0 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है ?

श्री प्रीतम सिंह–

राज्य सरकार द्वारा रबी विपणन सत्र 2012–13 में गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 1350.00 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है।

लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के आपदाग्रस्त गाँवों के विस्थापन की योजना

44–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र के कितने गाँव आपदाग्रस्त हैं ?

क्या सरकार उक्त प्रभावित गाँवों के विस्थापन की योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल आर्य–

प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत 10 गाँव आपदा से प्रभावित हैं।

आपदा प्रभावित ग्रामों के विस्थापन एवं पुनर्वास के लिए गठित नीति के अन्तर्गत जिलाधिकारियों से प्राथमिकता निर्धारित करते हुए विस्थापन या पुनर्वास के प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं, इसके साथ ही ग्रामों का भूगर्भीय सर्वेक्षण भी कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारिता विभाग द्वारा समूह 'ग' के अन्तर्गत राजकीय पर्यवेक्षक की प्रतियोगिता परीक्षा में 177 पदों पर बनी मेरिट लिस्ट के अतिरिक्त 29 पदों पर प्रतीक्षासूची में आ रहे अभ्यर्थियों की रिक्त पदों पर नियुक्ति

45–श्री चन्दन राम दास–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सहकारिता विभाग द्वारा समूह 'ग' के अन्तर्गत राजकीय पर्यवेक्षक की हुई प्रतियोगिता परीक्षा में कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 117 पदों पर बनाई गई मेरिट लिस्ट के अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित 14 तथा वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने में असमर्थ 15 कुल 29 पदों पर प्रतीक्षा सूची का निर्धारण करते हुए प्रतीक्षा सूची में आ रहे अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति न दिये जाने के क्या कारण हैं, तथा इन रिक्त पदों के सापेक्ष विभाग द्वारा पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा ?

श्री यशपाल आर्य–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् के स्तर पर अवशेष रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्र सत्यापन की प्रक्रिया गतिमान है। तत्पश्चात् परिषद् की संस्तुति पर नियुक्ति दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी गोदामों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर उपलब्ध राशन की गुणवत्ता जाँच

46–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर सरकारी गोदामों से जाने वाला राशन गुणवत्ता जाँच के उपरान्त वितरित किया जाता है।

यदि हाँ, तो गुणवत्ता जाँच की प्रक्रिया क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में विपणन निरीक्षक, तकनीकी कर्मचारी हैं, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण निर्दिष्टियों का खाद्यान्न क्रय करते हैं तथा भारतीय खाद्य निगम से भी उचित गुणवत्ता का खाद्यान्न होने पर ही परीक्षण के उपरान्त उठान करते हैं। इस खाद्यान्न का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित गोदामों को किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में धार्मिक स्थल थल में टैक्सी स्टैण्ड बनाने पर विचार

47–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या पंचायतीराज मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक धार्मिक स्थल थल में टैक्सी स्टैंड न होने के कारण यात्रियों को रुकने में परेशानी रहती है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार थल में टैक्सी स्टैंड बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं

थल में टैक्सी स्टैंड बनाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सुरक्षा अधिकारी, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 04:00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 4 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन की परम्परा उस समय तार–तार हो गयी जब एक माननीय सदस्य यहाँ बैठे रहे और उनको उठाने के लिए जिलाधिकारी को आना पड़ा, जब वो नहीं उठे तो उसके बाद सी0एम0 साहब उनको उठाने के लिए आये। इससे बड़ा अपमान इस सदन का नहीं हो सकता है। इसलिए ये सदन में जो कुछ हो रहा है, आप यहाँ के सर्वेसर्वा हैं। (घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट, माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री तीरथ सिंह रावत, श्री बंशीधर भगत, श्री हरबंस कपूर तथा श्रीमती विजय बड़थ्वाल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण ''वेल'' में आकर जोर–जोर से नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण

वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस वर्ष उत्तराखण्ड में 13 वर्ष के अन्तराल के बाद नन्दा देवी राजजात यात्रा का आयोजन हो रहा है। नगाधिराज हिमालय की गोद में बसी नन्दा देवी एवं पर्वतराज हिमालय को मैं सर्वप्रथम नमन करती हूँ।

"नन्दा देवी परमं गोपया, तमैवास्ति सुरार्चिता।

सर्वकाम प्रदानित्यं सर्वकाम फलप्रदा।।"

इस वर्ष हम स्वामी विवेकानन्द जी का 125वीं जन्मशती वर्ष भी मना रहे हैं। स्वामी विवेकानन्द जी का भी उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में विशिष्ट महत्व रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवनकाल में इस देवभूमि का व्यापक भ्रमण किया था और यहाँ साधनारत् रहे थे। भारत के इस महान सपूत, जिन्हें महर्षि श्री अरविन्द ने "ए वैरी लायन एमन्ग मैन" की संज्ञा देते हुए कहा था "बिहोल्ड विवेकानन्द स्टिल लिब्ज इन द सोल ऑफ हिज मदर एण्ड इन द सोल्स ऑफ हर चिल्ड्रैन।" विवेकानन्द जी के सम्बन्ध में राष्ट्रपिता पूज्य बापू ने लिखा है "आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू हिज वर्क्स, द लव आई हैड फॉर माई कन्ट्री बिकेम ए थाउजेन्डफोल्ड।"

इस ऐतिहासिक एवं सांस्कृति पृष्ठभूमि में [मैं आपकी अनुमति से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट प्रस्तुत कर रही हूँ।

यह मेरा परम् सौभाग्य है कि मुझे पुनः उत्तराखण्ड राज्य की तीसरी निर्वाचित सरकार का द्वितीय वर्ष का बजट प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।

'सीख तू फूलों से गाफिल मुद्दाये जिन्दगी।

खुद महकना ही नहीं, गुलशन को महकाना भी है।।"

'चिरागों की हिफाजत करते–करते,

हवा का रूख बदलना आ रहा है।

कहाँ तक आग बरसायेगा सूरज,

हमें शोलों पे चलना आ गया है।।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व वित्तीय चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में राजकोषीय नियोजन पर विशेष ध्यान दिया जाना वर्तमान तथा भावी दृष्टिकोण से अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही साथ विकास की गति बनाए रखने व वहनीय दरों पर गुणवत्ता पूर्ण सेवाएँ प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाय उपक्रमों/संस्थाओं में यथाआवश्यक विनियमन सहित पारदर्शिता तथा सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है।

नोट – [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पिछले वर्ष मैंने अपने बजट भाषण में आजीविका सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा तथा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को इंगित करते हुए इन पाँच आधार तत्वों को ध्यान में रख कर भावी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। शाश्वत सत्य की भांति महत्वपूर्ण इन पाँचों बिन्दुओं पर पुनः ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में विभिन्न विभागीय बजट प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं।

महोदय, देश के स्तर पर लगभग 5 प्रतिशत की विकास दर तथा उत्तराखण्ड राज्य के स्तर पर लगभग 6.87 प्रतिशत विकास दर की वर्तमान परिस्थितियों एवं अन्य कारणों से हमारी राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक परिणिति होगा, तथापि प्रवर्तन कार्य एवं वसूली पर पूर्ण ध्यान देकर मांग हेतु आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने पर बल दिया जाएगा।

आर्थिक एवं राजकोषीय परिवेश तथा वित्तीय प्रबन्धन–

वर्तमान में विश्व के कई देशों में आर्थिक मन्दी का खतरा है तथा राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित अपेक्षाकृत न्यून वृद्धि दर के साथ–साथ उत्तराखण्ड में भी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पूर्व के सापेक्ष कम अनुमानित है। भारत सरकार द्वारा विगत दिनों प्रस्तुत केन्द्रीय बजट अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर विकास की वृद्धि दर लगभग पाँच प्रतिशत अनुमानित की गई है जबकि उत्तराखण्ड राज्य की विकास वृद्धि दर भी लगभग 6.87 प्रतिशत अनुमानित है। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर विकास वृद्धि दर अपेक्षाकृत न्यून रहने के आलोक में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को अपना राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने की कठिन चुनौती का भी सामना करना है। वर्ष 2013–14 में भारत सरकार को राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत रखना है जबकि वर्ष 2012–13 में इसे 5.2 प्रतिशत पर रखने की प्रतिबद्धता इंगित की गई है। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय करों में राज्य सरकार की हिस्सेदारी प्रभावित होना निश्चित है जबकि विभिन्न योजनाओं/अनुदान मदों के अन्तर्गत सहायता भी प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2012–13 में ही केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में लगभग ₹ 116 करोड़ की कमी होना परिलक्षित हुआ है। राज्य सरकार को भी एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के लक्ष्यों के अन्तर्गत अपना राजकोषीय घाटा वर्ष 2013–14 में सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत के अन्तर्गत रखना है और भारत सरकार से हमारी ऋण लेने की सीमा भी निर्धारित है। ऐसी दशा में, जबकि हमारे वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित हैं और हमारी विकास दर भी वर्तमान में लगभग 6.87 प्रतिशत है, राज्य सरकार के स्तर पर वित्तीय प्रबन्धन को सुव्यवस्थित करने तथा राजकोषीय घाटा को नियंत्रित रखने के लिए आय के जो अनुमान लगाये गये हैं उन्हें प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास

और प्रवर्तन कार्य में कड़ाई व वसूली हेतु सघन अनुश्रवण करना अति आवश्यक हो गया है। साथ ही राज्य सरकार को यूजर चार्जेज का मूल्य वृद्धि के अनुसार युक्तिकरण तथा उन्हें अद्यावधि आधार पर निर्धारित करना भी आवश्यक है।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2013–14 में हमारे स्वयं के स्रोतों से आय कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 43.93 प्रतिशत अनुमानित है जबकि केन्द्रीय करों में हमारे हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली आय हमारे कुल राजस्व आय का लगभग 20.56 प्रतिशत है इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार से योजनागत एवं अन्य अनुदान के रूप में राज्य को कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 35.51 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है। बाजार व अन्य स्रोतों से ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में अपनी कुल प्राप्तियों का लगभग 21.25 प्रतिशत प्राप्त किये जाने का अनुमान है। इसी प्रकार व्यय पक्ष में हमारे कुल व्यय का लगभग 65.61 प्रतिशत आयोजनेत्तर पक्ष में एवं 34.39 प्रतिशत आयोजनागत पक्ष में व्यय होना अनुमानित हैं। पेंशन एवं ब्याज भुगतान को घटाते हुए हमारे कुल राजस्व व्यय का लगभग 58.02 प्रतिशत व्यय वेतन आदि मदों में होना अनुमानित है जबकि केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों में इंगित मानक अनुसार यह 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है विगत वर्षों से लगातार हमारा आयोजनेत्तर पक्ष का व्यय तथा वेतन आदि मदों में व्यय अपेक्षाकृत रूप से अधिक है, अतः इन मामलों में व्यय को नियंत्रित करने की चुनौती भी हमारे सम्मुख है।

राज्य सरकार द्वारा 12वें तथा तदोपरान्त 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राजकोषीय समेकन (फिस्कल कन्सोलिडेशन) को सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, अर्थात् एफ0आर0बी0एम0 एक्ट के अन्तर्गत राजस्व घाटा शून्य रखने तथा राजकोषीय घाटा वर्ष 2013–14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विरूद्ध 3.0 प्रतिशत की सीमान्तर्गत रखना संकल्पित किया है। इस प्रतिबद्धता का उद्देश्य है कि राज्य सरकार ऋण ग्रस्तता में न फंसे और राजस्व अधिशेष से दीर्घकालिक पूंजीगत कार्यों व आय सृजन करने वाली परिसम्पत्तियों के निर्माण में व्यय हेतु संसाधन उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के लक्ष्य अनुसार वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा ₹ 3621 करोड़ की सीमान्तर्गत सुनिश्चित किया जाना है। इन विधिक प्रतिबद्धताओं के परिदृश्य में राज्य के स्वयं के संसाधन सीमित होने तथा आयोजनेत्तर व वेतन आदि मदों में अपेक्षाकृत अधिक व्यय हेतु मांग होने के कारण साल दर साल राज्य की कुल ऋण देयता बढ़ रही है। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए राज्य की शुद्ध ऋण सीमा ₹ 3621 करोड़ निर्धारित हुई है, तथापि वर्ष में लिए जाने वाले कुल ऋणों उपरान्त राज्य का सकल ऋण दायित्व लगभग ₹ 28499 करोड़ के स्तर पर पहुँचना अनुमानित है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों एवं कठिन चुनौतियों के बावजूद मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से राज्य इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान कर सकेगा और सुशासन, सघन प्रवर्तन, राजस्व वसूली तथा विभिन्न सुधारों को क्रियान्वित करने में सफलता प्राप्त हो सकेगी।

वार्षिक योजना–

वित्तीय वर्ष 2013–14 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना लम्बित है, परन्तु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुमानों के दृष्टिगत वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 8710 करोड़ का प्राविधान आयोजनागत पक्ष में प्रस्तावित किया गया है।

मान्यवर,

इस अवसर पर मैं सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों तथा प्रस्तावित कार्यों के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख यहाँ करना चाहती हूँ :–

- ❖ व्यापारियों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम से सम्बन्धित फार्म "सी" "एफ" एवं "एच" विभागीय वेबासाईट से व्यापारी द्वारा स्वयं अपने सिस्टम से ही प्राप्त कर प्रिन्ट लेने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए उन्हें फीस अदा नहीं करनी होगी।
- ❖ उद्यमियों की सुविधा के लिए वैट नियमावली अन्तर्गत जारी किये जाने वाले फार्म XI हेतु निर्धारित मौद्रिक सीमा रुपये पाँच लाख को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही फार्म XI को वर्तमान वर्ष तथा पूर्व दो वर्षों के स्थान पर वर्तमान तथा पूर्व चार वित्तीय वर्षों के लिए जारी करने का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है।
- ❖ होटल व्यवसायियों को सुविधा दिये जाने के दृष्टिगत होटलों पर सुख–साधन कर सम्बन्धी कर निर्धारण छमाही के बजाय वार्षिक रूप से किया जाना प्रस्तावित है।
- ❖ राज्य में पर्यटन को विकसित करने के उद्देश्य से "स्पा" को सुख–साधन कर के दायरे से हटाया जाना प्रस्तावित है।
- ❖ राज्य के फल उत्पादकों के हित में एवं फलों के उत्पादन व उपयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य में उत्पादित फलों से विनिर्मित वाईन पर निर्माण एवं आयातकर्ता के बिन्दु पर कर की दर कम कर 32.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- ❖ दैवी आपदा से क्षति रोकने व बाढ़ संरक्षण सम्बन्धी कार्यों हेतु उपयोग में लाए जाने वाले वायर क्रेट पर कर दर घटा कर 13.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

- राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित माल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे माल के निर्माता इकाईयों को फार्म ''सी'' के विरुद्ध कर छूट की सुविधा की अवधि 31 मार्च, 2015 अथवा जी0एस0टी0 लागू होने तक विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।

- परिवार के सदस्यों के पक्ष में किये जाने वाले दान पत्रों पर स्टाम्प शुल्क वर्तमान 2 प्रतिशत दर के स्थान पर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

- निःशक्त व्यक्तियों को सम्पत्ति के अन्तरण में स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट वर्तमान ₹ 5 लाख मूल्य की सम्पत्ति के स्थान पर ₹ 10 लाख किया जाना प्रस्तावित है।

- महिलाओं के हित तथा उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से स्त्रियों के पक्ष में किये जाने वाले बिक्री पत्रों तथा अन्य अन्तरण विलेखों के सम्बन्ध में वर्तमान ₹ 20 लाख तक की धनराशि के स्थान पर ₹ 25 लाख तक के विलेखों में स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

- बजट के माध्यम से महिलाओं को सम्मानित करते हुए उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराने का समुचित प्रयास किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत जेण्डर बजट के रूप में शत प्रतिशत महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के साथ अन्य योजनाओं में मात्राकरण आधार पर महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण को समुचित एवं समन्वित रूप से गति प्रदान की जा रही है। इसे सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2013–14 में जेण्डर बजट में लगभग ₹ 3262 करोड़ का प्राविधान है जो वर्ष 2012–13 के सापेक्ष लगभग 46 प्रतिशत अधिक है।

- महिलाओं की सुरक्षा तथा उत्पीड़न की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हेतु पुलिस विभाग के अन्तर्गत पुलिस मुख्यालय में महिला सहायता प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

- शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयी शिक्षा विभाग में काल सेन्टर आधारित उपस्थिति सूचना प्रणाली का क्रियान्वयन प्रस्तावित है। साथ ही विद्यालयों एवं शैक्षिक गतिविधियों की आनलाईन मानीटरिंग हेतु एजुकेशन पोर्टल का संचालन करना भी प्रस्तावित है।

- नये पॉलीटेक्निकों की स्थापना तथा पूर्व पॉलीटेक्निकों में अतिरिक्त विषय प्रारम्भ करने सहित वर्तमान पॉलीटेक्निकों के सुदृढ़ीकरण हेतु 333 शैक्षणिक व अन्य पदों का सृजन प्रस्तावित है।

- ❖ प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिये जाने हेतु शिविरों का आयोजन व जनपदों में आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ❖ शहरी खेल अवस्थापना सुविधा योजनान्तर्गत देहरादून में एस्ट्रोटर्फ लगाये जाने तथा काशीपुर में इंडोर हाल के निर्माण हेतु ₹ 17 करोड़ का प्राविधान रखा गया है।
- ❖ देहरादून, हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। हल्द्वानी के लिए 13वें वित्त आयोग में 25 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं तथा देहरादून में एथलेटिक्स मैदान में सिन्थेटिक ट्रैक की व्यवस्था आदि हेतु ₹ 13 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।
- ❖ बागेश्वर में ब्लड बैंक तथा ट्रामा सेन्टर की स्थापना हेतु पदों का सृजन किया जा रहा है।
- ❖ उत्तरकाशी में ट्रामा सेन्टर की स्थापना हेतु पदों का सृजन करना प्रस्तावित है।
- ❖ नव सृजित चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के सुचारू संचालन हेतु मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पद सृजित किया जाना प्रस्तावित है।
- ❖ जनपद नैनीताल में पटरानी वन क्षेत्र में परिवार कल्याण उपकेन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है।
- ❖ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अन्तर्गत अपीलीय अधिकरण की स्थापना के लिए प्राविधान किया गया है।
- ❖ पेयजल का बजट गत वर्ष के आय–व्ययक से लगभग ₹ 158 करोड़ अर्थात् लगभग 37 प्रतिशत बढ़ाया गया है।
- ❖ जिला योजना के अतिरिक्त राज्य सेक्टर अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पम्पों की स्थापना करना प्रस्तावित है। नगरीय क्षेत्रों में भी राज्य सैक्टर अन्तर्गत हैण्ड पम्प स्थापित करने हेतु प्राविधान रखा गया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत हैण्ड पम्पों की स्थापना करने के लिए भी प्राविधान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में ₹ 17 करोड़ की व्यवस्था है।
- ❖ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के सापेक्ष 50 प्रतिशत राज्यांश हेतु ₹ 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। यह व्यवस्था जिला योजना तथा राज्य सैक्टर अन्तर्गत किये जा रहे बजट प्राविधान के अतिरिक्त है।
- ❖ राज्य आन्दोलनकारियों के लिए उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए प्राविधान सम्मिलित किया गया है।

- ❖ विनियमित क्षेत्र नवीन चकराता, चोपता, रूद्रप्रयाग, चम्पावत एवं बागेश्वर हेतु पदों का सृजन करना प्रस्तावित है।
- ❖ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम अन्तर्गत कोटद्वार, बाजपुर, जसपुर, सितारगंज एवं हल्द्वानी में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों की स्थापना हेतु पदों का सृजन प्रस्तावित है।
- ❖ सरकारी एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु पूर्व प्रदत्त ऋणों का अंशपूजी में परिवर्तन प्रस्तावित है।
- ❖ नन्दा राजजात यात्रा 2013 के आयोजन हेतु वर्ष 2012–13 में राज्य आकस्मिकता निधि से अवमुक्त की गई राशि की प्रतिपूर्ति प्रस्तावित है।
- ❖ शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत असहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु लगभग ₹ 8 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- ❖ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 व 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु लगभग ₹ 18 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- ❖ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामों में कृषि विकास हेतु लगभग ₹ 5 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ❖ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला मुखिया हेतु बकरी, भेड़ एवं गौ पालन की योजना प्रस्तावित है।
- ❖ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गहरी बोरिंग तथा निःशुल्क विद्युत संयोजन हेतु धनराशि प्राविधानित है।
- ❖ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत ₹ 35 करोड़ का प्राविधान किया गया है एवं इसके अतिरिक्त अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ₹ 4 करोड़ की निधि भी प्रस्तावित की गई है।
- ❖ राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन अन्तर्गत ₹ 40 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
- ❖ पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान अन्तर्गत ₹ 36 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- ❖ मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम निधि नियमावली 2012 प्रख्यापित की गयी है, जिसके माध्यम से जंगली जानवरों द्वारा घायल, अपंग मानव एवं पशुओं तथा फसलों का मुआवजा देने का प्रावधान है। जंगली जानवरों से हुई क्षतिपूर्ति की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

- ❖ एरोमैटिक प्लांट्स की खेती द्वारा कृषि योग्य बंजर भूमि की पुनर्स्थापना (रिहैबिलिटेशन) का एक प्रयास सगंध पौधा केन्द्र (सी0ए0पी0) सेलाकुई, देहरादून में किया गया है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र या अन्य किसी भी उपलब्ध बंजर भूमि का उपयोग एरोमैटिक प्लांट्स की खेती के माध्यम से किया जा सकता है। इस दिशा में विशेष प्रयास की आवश्यकता है।
- ❖ युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से हैन्डीक्राफ्ट्स, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, कार्पेट मैन्युफैक्चरिंग आदि के सम्बन्ध में नवयुवकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से दक्षता विकास केन्द्रों (स्किल डेवलपमेन्ट सेन्टर्स) का पंतनगर विश्वविद्यालय, आई0आई0एम0 काशीपुर, आई0आई0टी0 रुड़की एवं टूरिज्म के सहयोग से स्थापना पर बल दिया जायेगा।
- ❖ वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में माध्यमिक शिक्षा हेतु 51 प्रतिशत खेलकूद एवं युवा कल्याण हेतु 122 प्रतिशत, चिकित्सा शिक्षा में 68 प्रतिशत, अल्प संख्यक कल्याण में 149 प्रतिशत, बाल विकास पुष्टाहार में 30 प्रतिशत, उद्यान में 248 प्रतिशत, बी0ए0डी0पी0 में 196 प्रतिशत, बाढ़ नियंत्रण हेतु 29 प्रतिशत, पर्यटन हेतु 32 प्रतिशत, पशुपालन में 40 प्रतिशत, मत्स्य में 34 प्रतिशत, अनुसूचित जाति कल्याण उपयोजना में 41 प्रतिशत तथा अनुसूचित जातियों का कल्याण उप योजना में 76 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित है।
- ❖ अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त ₹ 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

बैंकिग सेवाएँ–

राज्य के आर्थिक विकास सहित वित्तीय समावेश (फिनैन्शियल इन्क्लूजन) तथा सामाजिक पेंशन, छात्रवृत्ति व अन्य अनुदानों का लाभार्थी को त्वरित अन्तरण के लिए बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य में वित्तीय समावेश हेतु बैंकिंग सेवाएँ सुलभ कराने, बैंकों का ऋण जमा अनुपात बढ़ाने तथा कम्प्यूटर आधारित नकदी अन्तरण की सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण–

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के होते हुए विकास को गति देने के लिए ऊर्जा, सड़क, पेयजल, पर्यटन, जलागम व शहरी विकास के क्षेत्र में वाह्य सहायतित योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। विभिन्न वाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में ₹ 1000 करोड़ का वित्त पोषण विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेन्ट बैंक तथा आईफैड से किया जाना अनुमानित है।

केन्द्र पोषित योजनाओं से वित्तीय सहायता–

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इन्दिरा आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा आदि विभिन्न योजनाओं में भारत सरकार से वित्त पोषण सीधे क्रियान्वयन अभिकरणों को किया जाता है जो राज्य संचित निधि से व्यय में परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त तेरहवें वित्त आयोग, जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एन0एस0ए0पी0, ई–गवर्नेन्स, बी0आर0जी0एफ0 तथा बी0ए0डी0पी0 आदि योजनाओं के अन्तर्गत राज्य की संचित निधि के माध्यम से केन्द्र सरकार से लगभग ₹ 1160 करोड़ का अनुदान वर्ष 2013–14 में प्राप्त होना अनुमानित है।

राजकोषीय सेवाएँ–

राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य कारणों के दृष्टिगत राज्य के वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित हैं जबकि इन संसाधनों के सापेक्ष विभिन्न उद्देश्यों हेतु मांग व अपेक्षाएं अधिक हैं। मांग के सापेक्ष पूर्ति के लिए राज्य सरकार को एक ओर वित्तीय संसाधन के नये स्रोत तलाशने हैं तो दूसरी ओर यूजर चार्जेज व शुल्कों को मूल्य वृद्धि अनुरूप अद्यावधि करने और सेवाओं की आउटसोर्सिंग व पी0पी0पी0 प्रारूप का उपयोग करते हुए सीमित संसाधनों के बावजूद अधिक कार्य सम्पन्न कराने के प्रयास भी करने हैं। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत यद्यपि सकल रूप से घाटे का बजट प्रस्तुत है तथापि एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के लक्ष्यों की अनुपालना करते हुए यह अनुमानित है कि राजस्व घाटा शून्य तथा राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमान्तर्गत अर्थात राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के अन्तर्गत रहेगा।

वाणिज्य कर–

राज्य सरकार के कुल राजस्व आय का लगभग 25.57 प्रतिशत एवं स्वयं के राजस्व के सापेक्ष लगभग 58.21 प्रतिशत राजस्व मूल्य वर्धित कर अर्थात् वैट से प्राप्त होता है। वर्ष 2012–13 में वैट से राजस्व प्राप्ति के पुनरीक्षित अनुमान लगभग ₹ 4088 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 4847 करोड़ राजस्व प्राप्ति अनुमानित है।

सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, परिणामोन्मुखी कार्य कुशल तथा दक्ष बनाने के लिए 'मिशन मोड प्रोजेक्ट' के अधीन कम्प्यूटर माध्यम ई–पंजीकरण, ई–रिटर्न, ई–पेमेन्ट, फार्म माड्यूल तथा एस0एम0एस0 सर्विस माड्यूल आदि सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। मार्च 2013 से वाणिज्य कर चौकियों को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की गई है। अब माल सहित राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों को माल के प्रपत्रों की जाँच कराने हेतु रुकना नहीं होगा, बल्कि राज्य में प्रवेश करने से पूर्व ही लदे माल की ऑनलाइन घोषणा विभागीय वेबसाइट में ट्रिप शीट/ट्रांजिट पास के रूप में करनी होगी।

व्यय पक्ष में वाणिज्य कर के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 77 करोड़ का प्राविधान है।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन–

वर्ष 2013–14 में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से लगभग ₹ 640 करोड़ का राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है। उप निबन्धक कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण करने तथा ई–स्टाम्पिंग प्रणाली लागू करने के फलस्वरूप विलेखों के पंजीकरण में होने वाले विलम्ब को कम करने और स्टाम्प की उपलब्धता व अन्य प्रकार की समस्याओं से निपटने में सफलता मिली है। इन प्रयासों को आगे और बढ़ाने एवं अन्य कार्यकलापों को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है।

वर्ष 2013–14 में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग अन्तर्गत व्यय पक्ष में लगभग ₹ 30 करोड़ का प्राविधान है।

आबकारी–

आबकारी नीति के माध्यम से मदिरा तथा अल्कोहल की बिक्री को विनियमित करने के साथ–साथ बाटलिंग नीति और राज्य में उत्पादित फलों से वाइन उत्पादन हेतु विन्टनरी व माइक्रो पब ब्रुवरी नीति के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व की व्यवस्था सहित रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होना सम्भावित है। सघन प्रवर्तन तथा अन्य माध्यमों से मदिरा की तस्करी पर नियंत्रण करने के प्रयास जारी हैं।

वर्ष 2013–14 में आबकारी से लगभग ₹ 1149 करोड़ की राजस्व प्राप्ति सम्भावित है जबकि व्यय पक्ष में लगभग ₹ 11 करोड़ का प्राविधान है।

परिवहन–

राज्य की विशिष्ट भौगोलिक व अन्य परिस्थितियों के दृष्टिगत सड़क परिवहन राज्य में यातायात का प्रमुख साधन है जबकि रेल यातायात का आच्छादन अभी सीमित है। वाहनों की यांत्रित जाँच तथा फिटनेस के लिए आधुनिक टेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है एवं चालक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से चालकों का प्रशिक्षण और रिफ्रेशर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है तथा सिमुलेटरों की व्यवस्था करना विचाराधीन है। वाहनों के पंजीयन, चालक लाइसेंस तथा परमिट निर्गत करने का कार्य कम्प्यूटर माध्यम से किया जा रहा है। राज्य में रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2013–14 में वाहन कर आदि से ₹ 320 करोड़ की आय अनुमानित है जबकि व्यय पक्ष में लगभग ₹ 92 करोड़ का प्राविधान है।

नागरिक उड्डयन–

विभिन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में विमानन सेवाओं का विस्तार अभी तक सीमित है। राज्य सरकार विमानन सेवाओं का विस्तार करने हेतु प्रयास कर रही है। विभिन्न स्थानों में हैलीपैड की स्थापना सहित नैनी–सैनी, गोचर व चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टियों को विमानन सेवाओं के लिए क्रियाशील करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। नैनी–सैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ से ए0टी0आर0 टाइप विमानों के परिचालन हेतु विस्तारीकरण एवं उच्चीकरण योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। प्रत्येक जनपद में हैलीपैड निर्माण योजनान्तर्गत निर्मित हैलीपैडों का उपयोग हैली आपरेटरों द्वारा किया जा रहा है। निर्मित हवाई पट्टियों एवं हैलीपैडों का उपयोग पर्यटन, सामरिक महत्व के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन में भी किया जा रहा है। निर्मित हैलीपैडों से लैण्डिंग पार्किंग शुल्क का अधिरोपण कर राजस्व जुटाने का प्रस्ताव है।

नागरिक उड्डयन विभाग हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 12 करोड़ का प्राविधान है।

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा–

राज्य में जल विद्युत उत्पादन की पर्याप्त सम्भावना के बावजूद विभिन्न कारणों से राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की गति विगत समय से धीमी हो गई है। फलतः राज्य को विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काफी मात्रा में अन्य स्रोतों से महंगी विद्युत क्रय करनी पड़ रही है। साथ ही विद्युत वितरण व्यवसाय में तकनीकी एवं वाणिज्यक आधारों पर विद्युत चोरी व अन्य विभिन्न कारणों से काफी विद्युत हानियां हो रही हैं। यद्यपि विभिन्न प्रयासों से विद्युत हानियों को कम करने में कुछ सफलता प्राप्त हुई है तथापि अनुमन्य मानक स्तर तक विद्युत हानियों को कम करने हेतु हमें अभी काफी प्रयास करने हैं जिस हेतु सभी का सहयोग आवश्यक है। सरकार राज्य में विद्युत उत्पादन एवं पारेषण क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रही है।

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए घराट सुधारीकरण, लघु जल विद्युत उत्पादन, सौर ऊर्जा व बायो ऊर्जा आधारित विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं जिनसे दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्र स्थित बस्तियों व परिवारों को घरेलू तथा अन्य उपयोगों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में भी कदम उठाये जा रहे हैं।

वर्ष 2013–14 में वैकल्पिक ऊर्जा हेतु लगभग ₹ 6 करोड़ तथा ऊर्जा क्षेत्र हेतु लगभग ₹ 645 करोड़ का प्रविधान है।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई–

कृषि क्षेत्र में विकास वृद्धि दर को सुनिश्चित करने में सिंचाई, लघु सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। नाबार्ड ऋण सहित केन्द्र पोषित त्वरित

सिंचाई लाभ कार्यक्रम अर्थात ए0आई0बी0पी0 व अन्य योजनाओं के अधीन सिंचन क्षमता में वृद्धि व सींच में विस्तार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। खेती के व्यवसायीकरण हेतु नई तकनीकी आधारित सिंचाई प्रणाली को अपनाए जाने की भी आवश्यकता है ताकि सीमित जल संसाधन व अन्य कारणों से उपलब्ध जल का अधिकतम लाभ लिया जा सके। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए गहरी बोरिंग एवं विद्युत संयोजन हेतु अनुदान की व्यवस्था भी की जा रही है।

वर्ष 2013–14 में सिंचाई, लघु सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु लगभग ₹ 1132 करोड़ का प्रविधान है।

पेयजल–

पेयजल मानव एवं पशुओं की मूलभूत आवश्यकता है। राज्य सरकार जनता को पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रयासरत है। स्वच्छता एवं जलोत्सारण कार्य भी जल से जुड़े हैं। जल संरक्षण, संवर्द्धन एवं वर्षा जल दोहन के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति बस्तियों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सैक्टर से हैण्ड पम्प अधिष्ठापन करना भी प्रस्तावित है।

शहरी विकास विभाग के अधीन वाह्य सहायतित एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित की जाने वाली जलोत्सारण व पेयजल योजनाओं के अतिरिक्त वर्ष 2013–14 में पेयजल जलोत्सारण तथा सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यों हेतु लगभग ₹ 588 करोड़ का प्राविधान है।

सड़क एवं सेतु–

राज्य में सड़क यातायात प्रमुख एवं महत्वपूर्ण होने के कारण सड़कों व सेतुओं के निर्माण, उसके चौड़ीकरण, उच्चीकरण तथा अनुरक्षण के लिए सरकार प्रयत्नशील है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अतिरिक्त राज्य सैक्टर से भी गाँवों तक पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अधिक यातायात दबाव वाले नगर क्षेत्रों व अन्य स्थलों में यातायात सुव्यवस्थित करने हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अतिरिक्त सड़कों एवं पुलों सहित विभिन्न लोक निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 1440 करोड़ का प्रविधान है।

औद्योगिक विकास–

राज्य में ऊँची विकास वृद्धि दर सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार औद्योगिक निवेश तथा स्थापित औद्योगिक ईकाइयों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सतत प्रयासरत है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के महत्व को देखते

हुए राज्य सरकार द्वारा इस हेतु पृथक विभाग गठित किया गया है। साथ ही भारत सरकार की क्लस्टर विकास योजना अन्तर्गत फार्मास्यूटिकल एवं आटोकम्पोनैन्ट क्लस्टर विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उद्यमिता विकास तथा कौशल विकास कार्यक्रमों सहित सामूहिक सुविधा केन्द्र व प्रशिक्षण सुविधाएँ दी जा रही हैं। अवैध खनन गतिविधियों को रोकने तथा खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

वर्ष 2013–14 में औद्योगिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए ₹ 104 करोड़ का प्राविधान है।

आवास एवं शहरी विकास–

विश्व के अन्य देशों सहित हमारे देश में भी शहरी क्षेत्रों की आबादी में तेजी से वृद्धि हो रही है जबकि शहरी क्षेत्रों से बाहर कतिपय क्षेत्रों में भी नियोजित विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है। विभिन्न केन्द्र पोषित तथा वाह्य सहायतित योजनाओं सहित नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, जलोत्सारण, अवस्थापना सुविधाएँ, आवासीय योजनाएँ विकसित की जा रही हैं। रोजगार सृजन तथा इस हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। कोटद्वार में लोक निजी सहभागिता से बस टर्मिनस–सह–कामर्शियल कम्पलैक्स से निर्माण हेतु प्रयत्न किया जा रहा है। देहरादून नगर में यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आवास नीति माध्यम से समुचित संस्थागत व्यवस्थाएं एवं गरीबों के लिए वहन योग्य आवास उपलब्धता के प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2013–14 में शहरी विकास तथा आवास विभाग हेतु ₹ 587 करोड़ का प्राविधान है।

समाज कल्याण–

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग सहित वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, निराश्रितों, निःशक्तजनों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास सुविधाएँ, कोचिंग सुविधा एवं निराश्रित विधवाओं, वृद्धों तथा विकलांगों को मासिक पेंशन, विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान आदि क्रिया कलाप संचालित हो रहे हैं। अल्प संख्यकों हेतु एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत ₹ 25 करोड़ का प्राविधान तथा विभिन्न अवस्थापना कार्यों हेतु ₹ 4 करोड़ की निधि की व्यवस्था की जा रही है।

समाज कल्याण सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों हेतु वर्ष 2013–14 में ₹ 780 करोड़ का प्राविधान है।

सैनिक कल्याण–

देश की सैन्य सेवाओं में उत्तराखण्ड का महत्वपूर्ण योगदान सदा से रहा है। उत्तराखण्ड न केवल बहादुर सैनिक देश की सेवा को देता रहा है बल्कि उच्च पदों सहित सेनाध्यक्ष के स्तर पर भी हमारे काबिल सपूतों ने योगदान कर हमारा गौरव बढ़ाया है। पूर्व में स्व0 बी0सी0 जोशी के थल सेनाध्यक्ष का पद सुशोभित करने के उपरान्त वर्तमान में श्री डी0के0 जोशी नौसेनाध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में राज्य के लगभग 63 हजार सैनिक सशस्त्र सेना में कार्यरत हैं जबकि लगभग एक लाख तिरपन हजार पूर्व सैनिक एवं दिवंगत सैनिकों की विधवाएँ पंजीकृत हैं। पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिए सरकार प्रयासरत है।

सैनिक कल्याण हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 33 करोड़ का प्राविधान है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास–

महिला साक्षरता, बच्चों व गर्भवती माताओं का कुपोषण से बचाव, शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के प्रमुख कार्यक्रमों सहित सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2013–14 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हेतु लगभग ₹ 555 करोड़ का प्राविधान है।

जलागम–

जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सुनियोजित रूप से उपयोग कर स्थानीय संसाधनों का समुचित प्रबन्धन करते हुए पर्यावरण मैत्री संपोषणीय विकास, स्थानीय आर्थिकी में सुधार एवं रोजगार व आजीविका सृजन हेतु जलागम प्रबन्धन कार्यक्रमों की उपयोगी भूमिका है। इन कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों सहित सामुदायिक सहभागिता का उपयोग करते हुए स्थानीय क्षमता वृद्धि व कौशल विकास के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) के द्वितीय चरण को क्रियान्वित करने की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है तथा इसका क्रियान्वयन वर्ष 2013–14 में ही प्रारम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2013–14 में जलागम कार्यों हेतु लगभग ₹ 59 करोड़ का प्राविधान है।

वन एवं पर्यावरण–

वन, वन्य जीव, जैव विविधता एवं पर्यावरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड राज्य का विशिष्ट स्थान है और साथ ही हम पर वनों, वन्य जीवों तथा पर्यावरण के संरक्षण व संवर्द्धन की भारी जिम्मेदारी भी है। यद्यपि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 65 प्रतिशत भाग में वन क्षेत्र है तथापि हमें वनों का संरक्षण व संवर्द्धन करते हुए इनसे समुचित राजस्व प्राप्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है जबकि साथ ही विकास कार्यों के लिए भूमि हस्तान्तरण के प्रस्तावों में गति लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

'कैम्पा' अन्तर्गत क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों के लिए उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त वर्ष 2013–14 में वन एवं पर्यावरण कार्यों हेतु लगभग ₹ 445 करोड़ का प्राविधान है।

कृषि–

राज्य गठन उपरान्त विगत वर्षों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप यद्यपि शुद्ध कृषि क्षेत्र में कमी हुई है तथापि कुल खाद्यान्न उत्पादन में दो लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 55 प्रतिशत वर्षा आधारित पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत है जहाँ जैविक खेती व दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना प्रस्तावित है। किसान मेला, फसलीय कृषि महोत्सवों एवं 'आतमा' परियोजनान्तर्गत किसान सलाहकार समितियों के माध्यम से कृषि तथा उन्नत तकनीकी विधियों सम्बन्धी प्रसार किया जा रहा है। कृषि शोध, नई प्रजातियों का विकास, प्रजनक बीज उत्पादन तथा बीज प्रमाणीकरण की गतिविधियों को भी पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है।

कृषि के लिए वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 375 करोड़ का प्राविधान है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग–

विभिन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग के समक्ष विशेष चुनौती है। सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है जिस कारण वर्ष दर वर्ष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु राज्य सरकार से चीनी मिलों को ऋण देना पड़ रहा है। इन चीनी मिलों के आधुनीकरण करने हेतु वित्त पोषण संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए वर्ष 2013–14 में चीनी मिलों को अब तक दिये गये ऋणों की अंशपूंजी में परिवर्तित करने का विचार है ताकि इनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु प्रयास किया जा सके।

गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग सम्बन्धी कार्यों हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 718 करोड़ का प्राविधान है।

औद्यानिकी–

राज्य में कृषि योग्य भूमि सीमित है जिसमें से औद्यानिक फसलों का क्षेत्रफल काफी कम है। राज्य की भौगोलिक परिस्थतियों व जलवायु के दृष्टिगत एवं अन्य कारणों से कृषि योग्य भूमि का अधिकतम एवं लाभकारी उपयोग औद्यानिक व औषधीय फसलों से लिया जा सकता है। राज्य सरकार फलों, सब्जियों, जड़ी–बूटी के उत्पादन को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण देने, प्रचार–प्रसार करने एवं उत्तर फसल प्रबन्धन सहित खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन अन्तर्गत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2013–14 में औद्यानिकी क्रिया–कलापें के लिए लगभग ₹ 158 करोड़ का प्राविधान है।

पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन–

कृषि के साथ पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक व आजीविका के प्रमुख अंग हैं। पशुओं में नस्ल सुधार, टीकाकरण, चिकित्सा सुविधा, चारा व्यवस्था, पौष्टिक आहार उपलब्धता, दुग्ध एकत्रीकरण व विपणन सहित प्रचार–प्रसार व सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों की महिला मुखिया को बकरी, भेड़ व गौ पालन हेतु प्रोत्साहन की नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य बीज वितरण, तालाबों का निर्माण व सुधार सहित मत्स्य बीज उत्पादन आदि क्रियाकलाप प्रस्तावित हैं।

वर्ष 2013–14 में पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन हेतु लगभग ₹ 158 करोड़ का प्राविधान है।

सहकारिता–

सहकारिता सिद्धान्त सीमित साधनों एवं संसाधनों का अधिकतम् उपयोग कर लागत को नियंत्रित करते हुए अधिक उत्पादन एवं लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यन्त उपयोगी है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण एवं निवेश की उपलब्धता आसानी से वहनीय दरों में सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण एवं आपूर्ति और समर्थन मूल्य आधार पर खाद्यान्न क्रय तथा भण्डारण का कार्य भी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। 97वें संविधान संशोधन अन्तर्गत सहकारिता क्षेत्र हेतु सरकार यथा आवश्यक व्यवस्थाएँ कर रही है।

सहकारिता के लिए वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 45 करोड़ का प्राविधान है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष–

राज्य सरकार आम जनता को प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय स्तर की चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को अनुमन्य मानक स्तर तक कम करना तथा लिंग अनुपात को सुधारना भी राज्य सरकार के समक्ष चुनौती है जिस हेतु राज्य सरकार उपाय कर रही है। वर्तमान में पी0पी0पी0 माध्यम से संचालित की जा रही कतिपय चिकित्सा सेवाओं व सुविधाओं की सफलता के क्रम में आगे इस व्यवस्था से चिकित्सा सेवाओं तथा सुविधाओं का विस्तार किया जाना भी प्रस्तावित है। बागेश्वर में वर्ल्ड बैंक सहित उत्तरकाशी व बागेश्वर में ट्रामा सेन्टर को क्रियाशील करना प्रस्तावित है। वैकल्पिक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुर्वेद तथा होम्योपैथी पद्धति को भी संचालित किया जा रहा है।

वर्ष 2013–14 में चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा आयुष विभाग अन्तर्गत लगभग ₹ 866 करोड़ का प्राविधान है।

चिकित्सा शिक्षा–

राज्य में चिकित्सकों की कमी को दूर करते हुए चिकित्सकीय सेवाओं को सुदृढ़ करने और युवाओं को चिकित्सकीय सेवा हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। चिकित्सा शिक्षा की बढ़ती हुई गतिविधियों के दृष्टिगत चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को पूर्णतः स्थापित कराया जा रहा है। वर्तमान में निर्माणाधीन व प्रस्तावित मेडिकल एवं नर्सिंग कालेजों की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2013–14 में चिकित्सा शिक्षा हेतु ₹ 430 करोड़ का प्राविधान है।

विद्यालयी शिक्षा–

यद्यपि राज्य में साक्षरता दर लगभग 80 प्रतिशत है तथापि इसमें वृद्धि करने एवं विशेषकर छात्राओं की साक्षरता दर में वृद्धि कर छात्रों की साक्षरता दर के आसपास लाकर साक्षरता में लिंग अन्तर को कम करने के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अधीन सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार शुल्क प्रतिपूर्ति कर रही है। यह हर्ष का विषय है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निजी स्कूलों में छात्रों के प्रवेश में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही है। सरकार प्रयासरत है कि इस कार्यक्रम का लाभ और अधिक छात्र प्राप्त कर सकें। छात्राओं को इण्टर तक अध्ययन पूर्ण करने तथा शाला त्याग की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने के लिए मुफ्त साइकिल योजना प्रस्तावित की गई है। निर्माणाधीन कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों, राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों तथा अन्य निर्माणाधीन विद्यालय भवनों को पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है। राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों सहित कतिपय प्राथमिक विद्यालयों को पी0पी0पी0 प्रारूप में संचालित करने का विचार है। विद्यालयों एवं शैक्षिक गतिविधियों के आनलाइन अनुश्रवण हेतु एजुकेशन पोर्टल तथा काल सेन्टर आधारित उपस्थिति सूचना प्रणाली प्रस्तावित है।

वर्ष 2013–14 में विद्यालयी शिक्षा हेतु लगभग ₹ 4416 करोड़ का प्राविधान है।

उच्च शिक्षा–

प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास हेतु राज्य सरकार प्रयासरत् है। निजी विश्वविद्यालयों के माध्यम से उच्च शिक्षा के विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त किया जा रहा है। स्ववित्त पोषित कतिपय पाठ्यक्रमों के साथ–साथ पी0पी0पी0 प्रारूप अन्तर्गत भी महाविद्यालयों के संचालन का प्रयास किया जाना प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 234 करोड़ का प्राविधान है।

तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण–

राज्य के युवाओं को बेहतर रोजगार प्राप्त करने योग्य तैयार करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलीटेक्निकों, इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों के माध्यम से कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने

के लिए सरकार प्रयासरत है। वर्ष 2013–14 में कतिपय नये पॉलीटेक्निक स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 203 करोड़ का प्राविधान है।

संस्कृति–

राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृति धरोहरों के संरक्षण व संवर्द्धन सहित संस्कृति के विकास तथा सांस्कृतिक विरासत के रख–रखाव तथा उन्नयन हेतु लोक संगीत, लोकनृत्य, लोककला का विकास और प्रचार–प्रसार के लिए सरकार कार्य कर रही है। पुरातात्विक स्थलों तथा स्मारकों का सर्वेक्षण, संरक्षण एवं अनुरक्षण और प्राचीन अभिलेखों व पाण्डुलिपियों का संग्रहण तथा संरक्षण के प्रयास भी किये जा रहे हैं। शास्त्रीय एवं लोक संगीत के विकास हेतु इन विधाओं की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। तेहरवें वित्त आयोग के अन्तर्गत देहरादून में संग्रहालय तथा सभागार की स्थापना प्रस्तावित है।

वर्ष 2013–14 में संस्कृति विभाग के लिए ₹ 62 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

खेल एवं युवा कल्याण–

राज्य में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु सरकार प्रयासरत है। खेल कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही खेल सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, उच्चीकरण एवं विस्तारीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून परिसर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स तथा हल्द्वानी में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। शहरी खेल अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु ₹ 17 करोड़ का प्राविधान किया गया है। विशेष आयोजनागत सहायता के अधीन देहरादून में एस्ट्रोटर्फ, सिन्थेटिक ट्रैक, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल आदि प्रस्तावित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विकास तथा खेल प्रतिभाओं को चिन्हीकरण कर उन्हें खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। युवक तथा महिला मंगल दलों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता एवं विकास कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है जबकि प्रान्तीय रक्षक दल के माध्यम से प्रशिक्षित एवं अनुशासित युवाओं की भागीदारी राज्य की उन्नति में प्राप्त की जा रही है।

वर्ष 2013–14 में खेल एवं युवा कल्याण हेतु ₹ 85 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क–

सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं गतिविधियों का जनता के मध्य प्रचार प्रसार और जनता की प्रतिक्रियाओं, भावनाओं व आकांक्षाओं को सरकार तक पहुँचाने में संचार माध्यमों, पत्रकारों तथा अन्य माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है। सूचना

एवं लोक सम्पर्क विभाग इस व्यवस्था में समन्वय स्थापित करने तथा पत्रकारों व मीडिया के हितों और कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 36 करोड़ का प्राविधान है।

गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा–

राज्य में अपराधों पर नियंत्रण, शान्ति व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा का दायित्व सामान्यतया पर्वतीय भू–भाग में मुख्यतः राजस्व पुलिस तथा शेष भू–भाग में नियमित पुलिस द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। इन कार्यों तथा जिम्मेदारियों में जनता की महत्वपूर्ण सहभागिता तथा उनका विशेष योगदान है। नरेन्द्र नगर में स्थापित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने का प्रयास है। पुलिस हेतु आवासीय व अनावासीय भवनों, उपकरणों तथा अन्य सुविधाओं को भी सुनिश्चित कराना जाना है। इस सम्बन्ध में पुलिस बल का आधुनिकीकरण तथा तेहरवें वित्त आयोग सहित राज्य सरकार के अपने संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। पुलिस संचार तथा अग्नि शमन व्यवस्थाओं का सुव्यवस्थित संचालन एवं सुदृढ़ीकरण भी किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न कारागारों के निर्माण व अनुरक्षण के साथ–साथ कारागारों के सुव्यवस्थित संचालन एवं बन्दियों को सुधार का अवसर देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु प्रसास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2013–14 में पुलिस विभाग हेतु लगभग ₹ 948 करोड़, होमगार्ड्स हेतु लगभग ₹ 33 करोड़ तथा कारागार हेतु लगभग ₹ 38 करोड़ का प्राविधान है।

राजस्व–

राजस्व अभिलेखों का रख–रखाव तथा उन्हें अद्यावधिक करने और राजस्व सम्बन्धी वादों के निस्तारण सहित पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश भू–भाग में अपराध नियंत्रण कार्य राजस्व विभाग के अधीन संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी0) अन्तर्गत समस्त राजस्व अभिलेखों का डिजिटाईजेशन, आधुनिक अभिलेखाकारों की स्थापना सहित ऑनलाइन दाखिल खारिज सुविधा और राजस्व अभिलखों की इन्टरनेट से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है जिसका शीघ्र क्रियान्वयन प्रारम्भ करना प्रस्तावित है। विकास कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि वन विभाग को दिये जाने के सम्बन्ध में गति लाने के लिए जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को अधिकार प्रतिनिधायित कर दिये गये हैं। तहसील, कलेक्ट्रेट, पटवारी चौकी आदि भवनों के निर्माण हेतु भी समुचित प्राविधान किया जा रहा है।

राजस्व विभाग हेतु वर्ष 2013–14 में ₹ 270 करोड़ का प्राविधान है।

आपदा प्रबन्धन–

प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अतिसंवेदनशील इस राज्य में त्वरित राहत कार्य सहित पूर्व तैयारी, जागरूकता, जानकारी, प्रशिक्षण तथा आपदा न्यूनीकरण उपायों के लिए सरकार प्रयासरत है। राज्य में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन दल की बटालियन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने हेतु सी–बैण्ड डाप्लर वैदर रडार की स्थापना का भी प्रयास किया जा रहा है।

वर्ष 2013–14 में आपदा प्रबन्धन के लिए लगभग ₹ 160 करोड़ का प्राविधान है।

पंचायती राज–

राज्य में पंचायतीराज व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रयासरत है। पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायतीराज व्यवस्था एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु प्रशिक्षित करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। बी0आर0जी0एफ0 योजना अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 56 करोड़ का प्राविधान है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का राज्य सरकार द्वारा समुचित उपयोग कर पंचायतों का सशक्तिकरण करना प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत ₹ 36 करोड़ का प्रविधान है।

वर्ष 2013–14 में पंचायतीराज विभाग अन्तर्गत लगभग ₹ 86 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

ग्राम्य विकास–

विभिन्न केन्द्र पोषित एवं वाह्य सहायतित योजनाओं तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा आजीविका अवसर उपलब्ध कराने आदि के लिए प्रयत्नशील है। सीमान्त क्षेत्र विकास खण्डों में केन्द्र पोषित बी0ए0डी0पी0 योजना तथा तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत विभिन्न कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। समेकित आजीविका सहयोग परियोजना माध्यम ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर आजीविका अवसर प्रदान करने और महिलाओं के श्रम को कम करने का प्रयास है। वर्ष 2012–2013 के क्रम में सीमान्त तथा पिछड़े विकास खण्डों के लिए सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत इस वर्ष भी प्राविधान रखा गया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, इन्दिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना का अधिकाधिक लाभ उठाया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2013–14 में ग्राम विकास विभाग के अधीन लगभग ₹ 910 करोड़ का प्राविधान है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी–

राज्य का विकास सुनियोजित तथा वैज्ञानिक रूप से करने के साथ–साथ राज्य की जैव विविधता, भौगोलिक परिस्थितियों का आधुनिक तकनीकी तथा ज्ञान आधारित इष्टतम लाभ एवं संसाधनों का संपोषणीय आधार पर उपयोग करने हेतु सरकार प्रयासरत है। साथ ही साथ समाज में प्रत्येक स्तर पर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का भी प्रयत्न किया जा रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 16 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना प्रौद्योगिकी–

वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व एवं उपयोगिता के दृष्टिगत इसका समावेश सरकार के सभी क्रियाकलापों में करना आवश्यक है ताकि आँकड़ों की सटीकता, कार्यों का त्वरित निपटारा, सूचनाओं की जनता के द्वार तक त्वरित पहुँच व आदान–प्रदान, विश्वसनीयता, कार्य कुशलता एवं पारदर्शिता आदि सहित ई–शासन माध्यम से सुशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा सके। इस सम्बन्ध में मिशन मोड परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न विभागों का कम्प्यूटरीकरण, राज्य स्तरीय डाटा सेन्टर की स्थापना, कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना सहित हॉरीजन्टल कनेक्टीविटी के प्रयास जारी हैं जबकि वर्टिकल कनेक्टीविटी हेतु 'स्वान' (एस0डब्ल्यू0ए0एन0) संचालित किया जा रहा है। ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना का क्रियान्वयन तथा स्टेट डिलीवरी गेटवे व राज्य पोर्टल की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई–टेण्डरिंग का कार्य सफलता पूर्वक प्रारम्भ कर दिया गया है जिसका सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार करना प्रस्तावित है।

वर्ष 2013–14 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हेतु लगभग ₹ 32 करोड़ का प्राविधान है।

पर्यटन–

आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन हेतु पर्यटन गतिविधियों का राज्य के लिए विशेष महत्व है। राज्य में पर्यटन की अपार सभावनाएँ हैं जिनका चिन्हीकरण कर सुनियोजित आधार पर विकास करना वांछित है एवं साथ ही समुचित पर्यटन विपणन तथा प्रचार–प्रसार सहित सरकारी व निजी क्षेत्र के साथ–साथ लोक निजी सहभागिता आधार पर राज्य में पर्यटन विकास अपेक्षित है। सरकार इस दिशा में प्रत्येक स्तर पर कार्य कर रही है। पर्यटन गतिविधियों की दृष्टि से विशिष्ट क्षेत्रों हेतु टूरिज्म एरिया विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठन के प्रयास किये जा रह हैं। पर्यटन विकास हेतु मास्टर प्लान बना कर एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्त पोषण से परियोजना प्रारम्भ की

गई है। विभिन्न केन्द्र पोषित व तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। कठिन पैदल यात्रा मार्गों एवं महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए रोप–वे परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

पर्यटन गतिविधियों हेतु वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 144 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति–

राज्य सरकार निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण सहित खाद्यान्न और चीनी का भण्डारण, मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खाद्यान्न क्रय का कार्य नियमित रूप से कर रही है। उपभोक्ताओं को सही मापतौल पर वस्तुओं की उपलब्धता तथा उपभोक्ता शिकायतों का निस्तारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ पारदर्शी तथा जिम्मेदार बनाने के लिए इस व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 240 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

श्रम, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन–

राज्य सरकार श्रमिकों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानूनों के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्य के साथ–साथ सेवायोजकों व श्रमिकों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने एवं राज्य में उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। बेरोजगारों का पंजीकरण कर उन्हें रोजगार प्राप्त करने के प्रयास सहित बेरोजगारों को भत्ता भी दिया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों हेतु अतिरिक्त चिकित्सालयों की स्थापना सहित वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में लगभग ₹ 126 करोड़ का प्राविधान है।

नियोजन–

राज्य सरकार क्षेत्रीय तथा कार्यक्षेत्र स्तर पर संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के साथ–साथ राज्य के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है। इस हेतु नियोजन विभाग के माध्यम से योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण सहित अनुश्रवण, मूल्यांकन, सत्यापन एवं गुणवत्ता नियंत्रण के सतत् प्रयत्न किये जा रहे हैं। समुचित नियोजन हेतु अर्थ एवं संख्या विभाग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण किये जा रहे हैं और आकड़ों का एकत्रीकरण तथा विश्लेषण का कार्य सतत् रूप से किया जा रहा है।

मान्यवर–

अब, मैं वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुमानों के प्रमुख आंकड़ों का उल्लेख करना चाहूँगी।

वर्ष 2013–14 में कुल प्राप्तियाँ ₹ 24940.31 करोड़ अनुमानित हैं जिसमें ₹ 18955.72 करोड राजस्व प्राप्तियाँ तथा ₹ 5984.59 करोड पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व ₹ 11007.81 करोड़ है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश ₹ 3896.39 करोड़ सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति ₹ 8327.68 करोड़ में कर राजस्व ₹ 7111.42 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व ₹ 1216.26 करोड़ अनुमानित है।

व्यय–

वर्ष 2013–14 में ऋणों के प्रतिदान पर ₹ 2152.79 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में ₹ 2540.85 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग ₹ 7253.74 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग ₹ 593.21 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में ₹ 1989.55 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2013–14 में अनुमानित कुल व्यय ₹ 25329.84 करोड़ में ₹ 18054.20 करोड़, राजस्व लेखे तथा ₹ 7275.64 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय है। कुल व्यय में ₹ 8710.38 करोड़ आयोजनागत एवं ₹ 16619.46 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में प्रस्तावित है। कुल राजस्व व्यय में ₹ 3631.23 करोड़ आयोजनागत पक्ष एवं ₹ 14422.97 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है जबकि कुल पूँजीगत व्यय में ₹ 5079.15 करोड़ आयोजनागत पक्ष में एवं ₹ 2196.49 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है।

समेकित निधि का घाटा–

समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ ₹ 24940.31 करोड़ में कुल व्यय में ₹ 25329.84 करोड़ घटाने के पश्चात् वर्ष 2013–14 में ₹ 389.53 करोड़ का घाटा अनुमानित है।

राजकोषीय समेकन सूचक–

वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि ₹ 901.52 करोड़ का राजस्व सरप्लस सम्भावित है जबकि ₹ 3536.74 करोड़ का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। उक्तानुसार अनुमानित

राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

लोक–लेखा से समायोजन–

वर्ष 2013–14 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए ₹ 400 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अन्तिम शेष–

वर्ष 2013–14 में अनुमानित प्रारम्भिक शेष ₹ 4.81 करोड़ तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय पश्चात् अन्तिम शेष ₹ 65.28 करोड़ रहना अनुमानित है।

मान्यवर,

अन्त में, मैं0 मा0 मुख्यमंत्री जी को उनके मार्गदर्शन के लिए तथा मंत्रिमण्डल के अपने अन्य सहयोगियों के प्रति उनके सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार प्रकट करना चाहती हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है उसके लिए मैं, उनका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। मैं महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं राजकीय मुद्रणालय तथा एन0आई0सी0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके परिश्रम एवं सहयोग से निर्धारित समयान्तर्गत बजट तैयार करना व बजट साहित्य का मुद्रण सम्भव हो सका।]

"सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
मा0 कश्चितदुःख भाग्भवेत्।"

इन्ही शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट प्रस्तुत करती हूँ।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा–65 के अन्तर्गत निःशक्तजन उत्तराखण्ड (01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक) का वार्षिक प्रतिवेदन तथा निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन का (01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक का) वार्षिक प्रतिवेदन

*समाज कल्याण व परिवहन मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा– 65 के अन्तर्गत निःशक्तजन उत्तराखण्ड (01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक) का वार्षिक प्रतिवेदन तथा निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन का (01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक का) वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2012 के तृतीय सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2012 के तृतीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम हड़बाड़ एवं पन्द्रहपाली को जोड़ने हेतु लाहुर नदी पर स्टील गार्डर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम हड़बाड़ एवं पन्द्रहपाली को जोड़ने हेतु लाहुर नदी पर स्टील गार्डर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती लीला देवी निवासी–ग्राम पंचायत पन्द्रहपाली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत शेष 20 कि0मी0 निर्माणाधीन गरूड़ चौखुटिया मोटर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत शेष 20 कि0मी0 निर्माणाधीन गरूड़ चौखुटिया मोटर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती लीला देवी निवासी–ग्राम पंचायत पन्द्रहपाली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने हेतु अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा पृथ्वीपुर के ग्राम खेड़ा पछवा की हजारों बीघा कृषि भूमि को उद्‌मादी नदी की बाढ़ से हो रही क्षति की रोकथाम हेतु नदी के उत्तरी तटबन्ध बनाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा पृथ्वीपुर के ग्राम खेड़ा पछवा की हजारों बीघा कृषि भूमि को उद्‌मादी नदी की बाढ़ से हो रही क्षति की रोकथाम हेतु नदी के उत्तरी तटबंध बनाने के सम्बन्ध में" श्री मनोज पुण्डीर निवासी–ग्राम खेड़ा पछवा जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा पृथ्वीपुर के बहादुरगढ़ जंगल से बहने वाले बरसाती नाले से हजारों बीघा कृषि भूमि एवं बरोटीवाला आमबाड़ी मुख्य मार्ग को हो रही अपूर्णीय क्षति की रोकथाम हेतु मुख्य मार्ग एवं बरसाती नाले को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा पृथ्वीपुर के बहादुरगढ़ से बहने वाले बरसाती नाले से हजारों बीघा कृषि भूमि एवं बरोटीवाला–आमबाड़ी मुख्य मार्ग को हो रही अपूर्णीय क्षति की रोकथाम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हेतु मुख्य मार्ग एवं बरसाती नाले को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी–ग्राम पृथ्वीपुर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जमनीपुर के ग्राम बरोटीवाला की हजारों बीघा कृषि भूमि को उद्मादी नदी की बाढ़ से हो रही क्षति की रोकथाम हेतु नदी के दक्षिणी तटबन्ध बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ''जनपद देहरादून विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जमनीपुर के ग्राम बरोटीवाला की हजारों बीघा कृषि भूमि को उद्मादी नदी की बाढ़ से हो रही क्षति की रोकथाम हेतु नदी के दक्षिणी तटबन्ध बनाने के सम्बन्ध में'' श्री जागीर सिंह निवासी–ग्राम खेड़ा पछवा, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा प्रतीतपुर के प्रतीतपुर की हजारों बीघा कृषि भूमि को आसन नदी की बाढ़ से हो रही क्षति की रोकथाम हेतु आसन नदी के दक्षिणी तटबन्ध बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ''जनपद देहरादून विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा प्रतीतपुर के ग्राम प्रतीतपुर की हजारों बीघा कृषि भूमि को आसन नदी की बाढ़ से हो रही क्षति की रोकथाम हेतु आसन नदी के दक्षिणी तटबन्ध बनाने के सम्बन्ध में'' श्री जसवन्त सिंह निवासी–ग्राम प्रतीतपुर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

विधायकों एवं पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य सुविधाओं पर विचार कर संस्तुति दिये जाने हेतु लोक सभा की भाँति एक सात सदस्यीय समिति गठित करने हेतु अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि माननीय विधायकों एवं पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते पेंशन तथा अन्य सुविधाओं पर विचार कर संस्तुति दिये जाने हेतु लोक सभा की भाँति एक सात सदस्यीय समिति गठित कर दी जाए।

मैं यह प्रस्ताव करती हूँ कि यह समिति समय–समय पर इन सुविधाओं के सम्बन्ध में विचार कर अपनी संस्तुति विधान सभा को उपलब्ध करायेगी।

समिति में सदस्यों का नामांकन किये जाने हेतु यह सदन माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय विधायकों एवं पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य सुविधाओं पर विचार कर संस्तुति दिये जाने हेतु लोक सभा की भाँति एक सात सदस्यीय समिति गठित कर दी जाय।

मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह समिति समय–समय पर इन सुविधाओं के सम्बन्ध में विचार कर अपनी संस्तुति विधान सभा को उपलब्ध करायेगी।

समिति में सदस्यों का नामांकन किये जाने हेतु यह सदन माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 मार्च, 2013 की बैठक में दिनांक 20–03–13 से दिनांक 23–03–13 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

मार्च, 2013

20 बुधवार

(1) वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण। (अपराह्न 04:00 बजे)

(2) विधायी कार्य :–

(1) उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(3) उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(4) उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

21 गुरूवार (1) वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

(2) नियम–105 के प्रस्ताव पर चर्चा :–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत प्रस्ताव :–

"यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।" (15 मिनट)

2. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत प्रस्ताव :–

"यह माननीय सदन रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृत दी जाय।" (15 मिनट)

3. श्री हरिदास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत प्रस्ताव :–

"उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलॉग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।" (15 मिनट)

4. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रतुतीकरण एवं चर्चा :–

"यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं हेतु नदियों में जल का प्रवाह निरन्तर बनाये रखने हेतु नदियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ा जाय।" (15 मिनट)

5. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सरल एवं स्पष्ट नीति बनायी जाय।" (15 मिनट)

नियम–54 की सूचना पर चर्चा :–

1. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत सूचना :–

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।" (15 मिनट)

2. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत सूचना :–

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के सम्बन्ध में।" (15 मिनट)

3. श्री हेमेश खर्कवाल, श्री मयूख महर एवं श्री गणेश गोदियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत सूचना :–

"वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक है।" (15 मिनट)

4. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत सूचना :–

"विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय।" (15 मिनट)

5. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित सूचना का प्रतुतीकरण एवं चर्चा :–

"उत्तराखण्ड राज्य में "ईको सेंसटिव जोन" को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जाय।" (15 मिनट)

22 शुक्रवार

(1) वित्तीय वर्ष 2013–2014 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

(2) विधायी कार्य।

(3) असरकारी संकल्पों पर चर्चा :–

1. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत असरकारी संकल्पः–

"इस माननीय सदन की सर्वसम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।" (15 मिनट)

2. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत असरकारी संकल्प :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।" (15 मिनट)

3. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में खाद्य विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम) में व्यापक सुधार लाये जाने की आवश्यकता के मध्यनजर इस माननीय सदन की एक समिति का गठन किया जाय तो इस सम्पूर्ण विषय पर विचार–विमर्श करके एक माह में अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।" (15 मिनट)

4. श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

"यह सदन भारत सरकार से संस्तुति करता है कि प्रदेश कृषकों की फसलों को ओलावृष्टि एवं सूखा से पचास प्रतिशत से अधिक क्षति का जो मुआवजा मिलता है उस मुआवजे की धनराशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।" (15 मिनट)

5. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक समग्र जल नीति निर्धारित की जाय।" (15 मिनट)

6. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

"सदन का सुनिश्चित मत है कि रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के व्यापरिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टनकपुर-बागेश्वर रेल लाईन स्वीकृत की जाय।" (15 मिनट)

विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

23 शनिवार-

मा0 वित्त, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर, संसदीय एवं विधायी कार्य निर्वाचन, जनगणना, भाषा, प्रोटोकाल मंत्री से सम्बद्ध विभाग-

अनुदान संख्या 05 निर्वाचन विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

मा0 राजस्व, आपदा प्रबन्धन, सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें, जलागम प्रबन्ध, सहकारिता मंत्री से सम्बद्ध विभाग-

अनुदान संख्या 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

18 सहकारिता विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

20 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

मा0 चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुष, आयुष शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग मंत्री से सम्बद्ध विभाग–

अनुदान संख्या 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मंत्री से सम्बद्ध विभाग–

अनुदान संख्या 19 ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

25 खाद्य विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

मा0 पर्यटन, उद्यान, संस्कृति, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास तथा वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री से सम्बद्ध विभाग–

अनुदान संख्या 26 पर्यटन विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

29 औद्यानिक एवं रेशम विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

मा0 नियोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल, युवा कल्याण मंत्री से सम्बद्ध विभाग–

अनुदान संख्या 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

मा0 कृषि, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सैनिक कल्याण, पेयजल, विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री से सम्बद्ध विभाग–

अनुदान संख्या 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

मा0 शहरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन, फलोद्योग, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड तथा जेल मंत्री से सम्बद्ध विभाग–

अनुदान संख्या 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

मा0 श्रम, सेवायोजन, लघु उद्योग, दुग्ध विकास, खादी तथा ग्रामोद्योग मंत्री से सम्बद्ध विभाग–

अनुदान संख्या	16	श्रम और रोजगार विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	

मा0 समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री से सम्बद्ध विभाग–

अनुदान संख्या	15	कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	
	24	परिवहन विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	
	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	
	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	

मा0 मुख्यमंत्री से सम्बद्ध विभाग–

अनुदान संख्या	01	विधान सभा की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।	विवाद नहीं होगा
	02	राज्यपाल की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
	03	मंत्रिपरिषद् की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
	04	न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान माँग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
	08	आबकारी विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	——
	09	लोक सेवा आयोग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान।	विवाद नहीं होगा
	10	पुलिस और जेल विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	——
	14	सूचना विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान (15 मिनट)	——
	21	ऊर्जा विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान (15 मिनट)	——
	22	लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)	——

23 उद्योग विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान —— (15 मिनट)

27 वन विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा और मतदान। —— (15 मिनट)

विधायी कार्य –

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2013 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013

*जलागम प्रबन्धन मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(पूर्व से ''वेल'' में खड़े कुछ माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने लगे, जिनको विधान सभा के रक्षकों द्वारा रोका गया। रोके जाने पर उनके साथ धक्का–मुक्की की गई। कई माननीय सदस्य कागज के गोले बनाकर माननीय अध्यक्ष आसन की ओर फेंकने लगे और कुछ माननीय सदस्य पत्रादि फाड़कर ऊपर उछालने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास, माननीय सदस्य श्री आदेश चौहान तथा माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, माननीय सदस्य श्री आदेश चौहान तथा माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लूँगा।

(माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 को वापस लेने की अनुज्ञा

सहकारिता मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012, जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, को वापस लेने की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012, जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, को वापस लेने की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013

(उत्तराखण्ड विधेयक सं0 वर्ष 2013)

उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 21 वर्ष 2003) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप से अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा–7 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि अधिनियम, 2003 की धारा–7 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :–

   "(3) राज्य सेक्टर में जल विद्युत परियोजनाओं एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के विकास, विद्युत निकासी तंत्र के निर्माण तथा विद्युत पारेषण तंत्र के विकास के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं के लिए, जो सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।"

अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, से खण्ड–22, अनूसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013

(उत्तराखण्ड विधेयक सं0 वर्ष 2013)

उत्तराखण्ड राज्य में प्लास्टिक तथा अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरे के उपयोग व निस्तारण का विनियमन करने तथा उससे सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप से अधिनियमित हो–

अध्याय—एक

प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा—कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो—

(क) ''जीव नाशित कूड़ा—कचरा'' से जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा—कचरा या अपशिष्ट पदार्थ अभिप्रेत है;

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को प्रवृत्त करने के लिए अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी, अधिकारी अथवा व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) ''गृह—पथ'' से ऐसा पथ अथवा भूमि की ऐसी पट्टी अभिप्रेत है, जो नालों के रूप में उपयोग में लाये जाने, अथवा किसी संडास, मूत्रालय, मलकूप अथवा गलीज या दूषित पदार्थ एकत्र करने के किसी पात्र तक पहुँचाने के लिए उपर्युक्त संडास इत्यादि की सफाई करने अथवा वहाँ से उक्त पदार्थ हटाने के कार्य में नियोजित किसी व्यक्ति के वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग देने के लिए निर्मित की गयी हो, अलग कर दी गई हो अथवा उपयोग में लायी जाती हो;

(घ) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत, छावनी परिषद्, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;

(ङ) ''बाजार'' के अन्तर्गत ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है, जहाँ क्रेता और विक्रेता के लिए कोई सामान्य विनियमन न होते हुए भी, चाहे स्थान के मालिक अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाजार के व्यक्ति के व्यापार में अधिकारिता पर नियंत्रण हो अथवा नहीं, लोग मानव उपयोग या उपभोग के लिए मांस,

मछली, फल, सब्जी, खाद्य या अन्य कोई खाद्य या अखाद्य सामग्री या माल का प्रदर्शन करते हुए विक्रय या क्रय करने के लिए ऐसे स्थान के स्वामी की सहमति अथवा बिना सहमति के एकत्र होते हैं;

(च) "जीव अनाशित कूड़ा–कचरा" से जीव अनाशित पदार्थ से निर्मित अपशिष्ट कूड़ा–कचरा अभिप्रेत है;

(छ) "जीव अनाशित पदार्थ" से प्लास्टिक सहित ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है, जो कि माइक्रो आर्गनिज्म, सूर्य रोशनी अथवा अन्य प्राकृतिक कार्रवाई से समाप्त अथवा कम नहीं किया जा सकता है और इसमें इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पॉलिथिन, नाइलॉन या अन्य प्लास्टिक पदार्थ, जैसे पॉली विनाइल क्लोराइड्स (पी0वी0सी0), पॉली प्रोपिलीन और पॉली स्टाइरीन से बने अथवा विनिर्मित सामान सम्मिलित हैं, जो इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं;

(ज) "अधिभोगी" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :–

(एक) कोई व्यक्ति जो स्वामी को, तत्समय उस भूमि या भवन का किराया या किराये के किसी अंश का भुगतान कर रहा है या भुगतान करने का दायी है, जिसके सम्बन्ध में ऐसे किराये का भुगतान किया जाता है या देय है;

(दो) कोई स्वामी जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोग कर रहा हो या उसका अन्यथा उपयोग कर रहा हो;

(तीन) किसी भूमि या भवन का किराया मुक्त किरायेदार; और

(चार) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के उपयोग या अभियोग के लिए उसके स्वामी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायी हो;

(छ) "स्वामी" में कोई व्यक्ति जो कि तत्समय किसी भूमि अथवा भवन का किराया प्राप्त कर रहा था या प्राप्त करने के लिए अर्ह था, चाहे वह स्वयं के लेखे में अथवा उसके लेखे में और किसी अन्य के लेखे में अथवा अभिकर्ता, न्यासी, अभिभावक अथवा रिसीवर अथवा जो इस प्रकार किराया प्राप्त कर रहा हो अथवा उसे प्राप्त करने के लिए अर्ह हो, मानो भूमि अथवा भवन अथवा उसका कोई भाग किरायेदार को किराये में दिया गया हो; अभिप्रेत है;

(ञ) ''स्थान'' से कोई ऐसी भूमि या भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भवन या भवन के भाग से सम्बद्ध उद्यान, जमीन या वहिर्गृह, यदि कोई हो, भी है;

(ट) ''लोक पर्यवलोकन के लिए खुला स्थान'' के अन्तर्गत कोई निजी स्थान या भवन, स्मारक, बाड़ या छज्जा भी है जो किसी सार्वजनिक स्थान में से या उससे होकर गुजरने वाले किसी व्यक्ति को, दिखाई देता हो;

(ठ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) ''लोक विश्लेषक'' से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (29 का 1986) के उपबन्धों के अधीन राज्य में स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी पर्यावर्णिक प्रयोगशाला के सम्बन्ध में सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त या मान्यता प्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(ढ) ''सार्वजनिक स्थान'' से जनता के उपयोग और उपभोग के लिए खुला कोई स्थान अभिप्रेत है, चाहे जनता द्वारा उसका वास्तव में उपयोग या उपभोग किया जाता हो या नहीं और इसके अन्तर्गत सड़क, मार्ग, बाजार, गृह–पथ, या रास्ता चाहे वह आम रास्ता हो या न हो, और कोई अन्य स्थान जहाँ जनता को प्रवेश की अनुमति हो या आने–जाने का अधिकारी हो या जिस पर उन्हें जाने का अधिकार हो, भी है।

अध्याय–दो

जीव अनाशित पदार्थ के प्रयोग पर प्रतिबन्ध अथवा प्रतिषेध

जीव अनाशित पदार्थ से कतिपय वस्तुओं के निर्माण के प्रयोग पर प्रतिबन्ध अथवा प्रतिषेध

3. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना से, उत्तराखण्ड राज्य के भीतर प्लास्टिक अथवा जीव अनाशित पदार्थ, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मानकों के अंसगत होते हैं, के उत्पादन, क्रय, विक्रय, भण्डारण, वितरण और उपयोग पर प्रतिबन्ध अथवा प्रतिषेध अधिरोपित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना से पैकिंग के प्रकार, आकार, लेबल और संरचना या उसके प्रयोग और निस्तारण, जिसमें अपघटन व पुनःचक्रण के मानक अथवा मानदण्ड सम्मिलित हैं, के निमित्त निर्माताओं, वितरकों और अन्य व्यक्तियों, जो वस्तुओं का उत्पादन अथवा व्यवहरण करते हैं, पर दायित्व अधिरोपित कर सकेगी।

सार्वजनिक नालियों, मल नालियों और जल निकाय में जीव अनाशित कूड़ा–कचरा फेंकने पर प्रतिबन्ध

4. (1) कोई भी व्यक्ति, स्वयं या दूसरे के द्वारा, जानबूझकर या अन्यथा, किसी नाली, वेंटिलेशन शाफ्ट, पाईप व फिटिंग चाहे निजी अथवा सार्वजनिक जल निकास से जुड़ा हो, नहर, तालाब, नाले, नदी में कोई भी जीव अनाशित कूड़ा–कचरा या जीव अनाशित थैले अथवा पात्र में जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं फेंकेगा या फेंकवायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या अन्यथा, सिवाय ऐसे प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे सुरक्षा मानकों का पालन किये जाने के पश्चात्, जैसा विहित किया जाय, कोई जीव नाशित या जीव अनाशित कूड़ा–कचरा किसी सार्वजनिक स्थान या किसी लोक पर्यवलोकन के लिए खुले स्थान पर नहीं डालेगा या डालने की अनुज्ञा देगा, जब तक कि–

(क) कूड़ा–कचरा किसी बन्द कूड़ेदान में नहीं डाला जाता है; या

(ख) कूड़े–कचरे के निस्तारण के लिए क्षेत्र पर अधिकारिता प्राप्त करने वाले स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर, कूड़ा–कचरा नहीं डाला जाता है।

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा जलाने पर प्रतिबन्ध

5. कोई भी व्यक्ति अनुसूची में उल्लिखित किसी भी पदार्थ से बना जीव अनाशित कूड़ा–कचरा नहीं जलायेगा।

अध्याय–तीन

जीव अनाशित कूड़ा–कचरे का प्रबन्ध

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा जमा करने के लिए कूड़ादान रखने और स्थानों की व्यवस्था करना

6. स्थानीय प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह–

(क) उचित और सुविधाजनक स्थान पर सार्वजनिक कूड़ेदान रखेगा या व्यवस्था करेगा, या जीव अनाशित कूड़े–कचरे के लिए अस्थाई जमाव या संग्रहण के लिए स्थान की व्यवस्था करेगा;

(ख) जीव अनाशित कूड़े–कचरे के लिए रखे और अनुरक्षित कचरा पेटियों के अलावा जीव अनाशित कूड़े–कचरे को अस्थाई रूप से जमा करने के लिए अलग कचरा पेटियों की व्यवस्था करेगा;

(ग) इस धारा के खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये या नियत किये गये सभी स्थानों पर कूड़ेदानों और ढेर संग्रह स्थानों की अन्तर्वस्तु को हटाने की व्यवस्था करेगा;

(घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत संग्रहीत जीव अनाशित कूड़े–कचरे के पुनः चक्रण का प्रबन्धन करेगा;

(ङ) ऐसे समस्त कूड़ादानों के आसमान की ओर मूँह खुलने वाले ऊपरी भाग में बन्द होने की सुविधा होनी चाहिए।

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा आदि को संग्रहित और जमा करने का स्वामियों और अधिभोगियों का कर्तव्य

7. सभी भूमि और भवनों के स्वामियों और अधिभूमियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(क) अपनी–अपनी भूमि और भवनों से जीव अनाशित कूड़ा–कचरा एकत्रित करना या करवाना और स्थानीय प्राधिकारों द्वारा क्षेत्र में जीव अनाशित कूड़ा–कचरा एकत्रित करने या अस्थाई तौर पर जमा कराने हेतु उपलब्ध कराये गये सार्वजनिक कूड़ेदानों या स्थानों में जमा करना या करवाना;

(ख) जीव अनाशित कूड़े–कचरे को जमा करने के लिए रखी गयी और अनुरक्षित से भिन्न ऐसी भूमि या भवनों से सभी जीव अनाशित कूड़ा–कचरे के संग्रहण के लिए स्थानीय प्राधिकारी या उसके अधिकारियों द्वारा विहित प्रकार के और रीति में अलग–अलग कूड़ादानों या कचरा पेटियों की व्यवस्था करना और ऐसे कूड़ादानों और कचरा पेटियों को अच्छी हालत में रखना और उसकी मरम्मत करना।

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा अथवा अनाशित पदार्थ को हटाने की स्थानीय प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी की शक्ति

8. स्थानीय प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसी भूमि या भवन के जो जीव अनाशित कूड़े–कचरे अथवा जीव अनाशित पदार्थ का अनाधिकृत ढेर लगाने या जमा करने का स्थान बन गया हो और जिससे किसी न्यूसेन्स का कारण बनने की सम्भावना हो, स्वामी या अधिभोगी या अंशतः स्वामी अथवा स्वामी या अंशतः स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति से, इस प्रकार ढेर लगाये गये या संग्रहीत कूड़े–कचरे को हटाये या हटवाने की अपेक्षा कर सकता है, यदि उसकी राय में जीव अनाशित कूड़े–कचरे के ऐसे ढेर या संग्रहण से जल निकास या मल वहन प्रणाली के अवरूद्ध होने की या जीवन या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने की सम्भावना हो तो वह ऐसे आवश्यक कदम उठाएगा, जैसा वह आवश्यक समझे तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों में उपबन्धित रीति से ऐसे व्यक्ति के खर्च पर उक्त कूड़े–कचरे या पदार्थ का व्ययन करेगा।

अध्याय—चार

शास्ति और दण्ड

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति

9. (1) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में जारी अधिसूचना द्वारा सशक्त कोई व्यक्ति किसी स्थान पर, जैसे वह आवश्यक समझे, ऐसे सहयोगियों सहित सभी समुचित समयों पर प्रवेश का अधिकार रखेगा :—

(क) राज्य सरकार द्वारा उसे दिये गये कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिए;

(ख) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गये नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन दिया गया अथवा किया गया अथवा बनाए गये कोई नोटिस, आदेश अथवा निर्देश का अनुपालन अथवा कोई ऐसे कृत्यों के सम्पादन और उसकी रीति के निर्धारण के प्रयोजन के लिए;

(ग) किसी अभिलेख, पंजिका, दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री के परीक्षण या किसी भवन में, जहाँ इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के अधीन किसी अपराध के कारित हो चुके होने, हो रहे होने अथवा होने की सम्भावना पर विश्वास करने के लिए उसके पास कारण होते हैं, में तलाशी करने और ऐसे समस्त अभिलेख, पंजिका, दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री अभिग्रहित करने के लिए यदि उसके पास विश्वास करने के लिए कारण है कि इससे इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के अधीन कारित किसी दण्डनीय अपराध के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा।

(2) जीव अनाशित पदार्थ या जीव अनाशित कूड़े—कचरे को व्यवहृत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (1) के अन्तर्गत कृत्यों के निर्वहन के लिए उक्त उपधारा में सशक्त व्यक्ति को सभी सहायता देगा और ऐसा न करने की दशा में अधिनियम के अधीन दण्डित किया जायेगा।

(3) जहाँ तक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के क्रम में इस धारा के अधीन तलाशी लेने और अधिग्रहण करने की शक्ति ऐसी होगी, जैसे कि किसी प्राधिकारी द्वारा उक्त संहिता

की धारा 94 के अधीन जारी वारण्ट के अधीन तलाशी लेने और अधिग्रहण करने की शक्ति होती है।

(4) इस धारा के अधीन अधिग्रहीत किसी जीव अनाशित पदार्थ अथवा जीव अनाशित कूड़ा–कचरे का निस्तारण ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किया जायेगा।

शास्ति

10. जो कोई भी इस अधिनियम के किसी प्राविधान या उसके अधीन बनाए गये नियम, जारी की गयी अधिसूचना या दिये गये आदेश के उल्लंघन में कोई कृत्य करता है या जानबूझकर लोप करता है या इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को दुष्प्रेरित करता है या उसका भागीदार होता है, तीन माह के साधारण कारावास अथवा जुर्माना, जो आम नागरिकों और फुटकर व्यवसायियों के मामले में ₹ 500, खुदरा दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मामलों में ₹ 50.000 तथा निर्माताओं और व्यवसायिक फर्मों के मामलों में ₹ 02 लाख तक होगा, से या दोनों से दण्डित होगा।

दण्ड

11. जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका हो, अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह पश्चात्वर्ती अपराध के लिए धारा 10 में प्राविधानित दण्ड के दुगुने दण्ड से दण्डनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

12. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन उपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के लिये किये जाने के समय कम्पनी का कारबार चलाने के निमित्त कम्पनी का प्रभारी या उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो अपराध करने का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी और उसे दण्डित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि ऐसा व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ था या उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरत ली थी तो इस अधिनियम की किसी बात से वह दण्ड का भागी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित सिद्ध हो जाये कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है या अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी और तद्नुसार उसे दण्ड दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए :–

(क) ''कम्पनी'' से कोई नियमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फार्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है' और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का संक्षिप्त विचारण

13. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराधों का किसी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 262 से 265 (दोनों सहित) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे विचारण पर लागू होंगे।

अपराधों का शमन

14 (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध, अभियोजन संस्थित किये जाने से पूर्व ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, राज्य सरकार के पक्ष में ऐसी राशि, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, के भुगतान पर शमित किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि किसी एक मामले में ऐसा भुगतान उसके लिए निर्धारित जुर्माने से अधिक नहीं होगा।

(2) जहाँ किसी अपराध का उपरोक्त उपधारा (1) के अन्तर्गत शमन किया जा चुका हो, शमित अपराध के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध कोई अग्रत्तर कार्यवाही नहीं की जायेगी और अभियुक्त के अभिरक्षा में होने पर उसे उन्मोचित कर दिया जायेगा।

अध्याय—पाँच

अपशिष्ट गोदाम का पंजीकरण और श्रमिक की सुरक्षा

पंजीकरण

15. (1) अपशिष्ट गोदाम का प्रत्येक संचालक सभी प्रकार के जीव अनाशित कूड़ा—कचरे के भण्डारण के लिए इस निमित्त बनाए गये नियमों के अनुसार सम्बन्धित स्थानीय निकायों, जिनमें ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित हैं, से पंजीकरण करायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पंजीकृत सभी एजेंसियाँ, जो कि जीव अनाशित कूड़े—कचरे की सफाई और संग्रहण के लिए कार्य करेंगी, प्रत्येक कूड़ा उठाने वाले और सफाई, संग्रहण, भण्डारण और प्रबन्धन में लगाए गये अन्य श्रमिकों में दायित्वों और पहचान को प्रदर्शित करेगी और उपर्युक्त गतिविधियों में चौदह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सहयोजित नहीं किया जायेगा।

(3) किसी भी पंजीकृत अपशिष्ट गोदाम या श्रमिक, जो किसी भी कूड़े—कचरे, चाहे जीव नाशित हो या अन्यथा की सफाई, पृथक्करण या अन्यथा निस्तारण में लगे हों, पर पुनःचक्रण या मिश्रण या बड़े भण्डारण या पुनःचक्रण केन्द्र के लिए परिवहन के प्रयोजन संग्रहित कूड़े—कचरे के भण्डारण, संग्रहण, क्रय अथवा विक्रय के लिए किसी भी प्रकार का अभियोग नहीं चलाया जायेगा :

परन्तु यह कि ऐसा सभी प्रकार का परिवहन कार्य बन्द गाड़ी अथवा कन्टेनर में किया जायेगा।

(4) प्रत्येक पंजीकृत गोदाम और स्थानीय निकाय अपने पंजीकृत श्रमिक, जो कि कूड़े—कचरे की सफाई और संग्रहण के लिए लगाए गये हैं, को आधुनिक सफाई के उपस्कर, जूते, दस्ताने, एप्रिन और अन्य सुरक्षा के उपाय प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।

अध्याय—छः

प्रकीर्ण

राज्य सरकार द्वारा निर्देश

16. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय—समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो उन प्राधिकारियों, जिन्हें ऐसे निर्देश दिये जायं, पर उनके अनुपालन के लिए बाध्यकारी होंगे।

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति

17. (1) जहाँ ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची से किसी जीव अनाशित की किसी मद को जोड़ अथवा घटा सकती है और ऐसी अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना इसे जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी।

प्रत्यायोजन की शक्ति

18. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति (धारा 20 में नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) को, ऐसे मामलों में जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, उसमें विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

19. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी, या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के किसी अधिकारी या कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

20. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी भी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे।

शोध

21. राज्य सरकार, ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में किन्ही शोध गतिविधियों का आयोजन कर सकेगी या करा सकेगी।

निरसन और व्यावृत्ति

22. (1) उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तार का विनियमन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 29 वर्ष 2000) (उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

अनूसूची

[धारा 2 का खण्ड (छ) देखिए]

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा

(बिना आकार व मोटाई के)

1– पॉलिथीन

2– नायलान

3– पी0वी0सी0

4– पाली–प्रापिलीन

5– पाली–स्टाइरीन

6– पाली–इथाइलीन टेरेफ्थेलेट

7– हाई डेनसिटी पालीथीन

8– लो डेनसिटी पालीथीन; और

9– अन्य धूना और बहु पदार्थ जैसे (ए0बी0एस0–एक्रीलोनीट्रइल बटाडाइन स्टाइरीन, पी0पी0ओ0–पालीथीन ऑक्साइड, पी0सी0–पॉलीकारबोनेट, पी0बी0टी0–पालीबूटाइलीन टेरेफ्थालेट) इत्यादि।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 के खण्ड–22, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2013)

उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1975 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 42 वर्ष 1975 की द्वितीय अनुसूची का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में लोक आयुक्त के वेतन की दर से सम्बन्धित प्रविष्टियों में अंत में आने वाले शब्द "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री नवप्रभात, श्री तीरथ सिंह तथा श्री सरवत करीम अंसारी की कुल 04 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री नवप्रभात की सूचना, जो कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर की ग्राम सभाओं को एम0डी0डी0ए0 के मसूरी कार्यालय की परिधि से हटाने तथा इनकी महायोजना अविलम्ब गठित करने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना जो कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सल्ट में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क, पेयजल लाईन, स्कूल, कॉलेज, नहरें आदि का मरम्मत कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 4 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून : डी0 पी0 गैरोला,

दिनांक 20 मार्च, 2013 प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी ''क''

(देखिये अल्पसूचित प्रश्न सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 5 पर)

आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	स्वीकृत आवासों संख्या	कुल लागत	परियोजना स्वीकृत वर्ष	वर्षवार निकायों को अवमुक्त धनराशि		दिनांक 31.12.2012 तक पूर्ण आवासों की संख्या	निर्माणाधीन आवासों की संख्या
					वर्ष	धनराशि		
1	2	3	4	5	6		7	8
1.	श्रीनगर	53	95.40	2007–08	2007–08 2011–12	66.57 66.58 133.13	26	6
2.	पौड़ी	178	320.40	2007–08	2007–08 2011–12	226.00 226.00 452.00	93	50
3.	महुआडाबरा	266	414.96	2009–10	2009–10	462.00	147	40
4.	महुआखेडागंज	403	628.68	2009–10	2009–10	593.00	0	270
5.	दिनेशपुर	387	603.72	2009–10	2009–10	588.00	33	150
6.	काशीपुर	428	667.68	2009–10	2009–10	598.00	0	227
7.	लालकुँआ	100	144.00	2009–10	2009–10 2012–13	179.00 75.00 254.00	0	100
8.	पिथौरागढ़	200	410.96	2009–10	2009–10 2011–12	548.00 548.00 1096.00	0	172
9.	कालाढूँगी	290	452.40	2010–11	2010–11 2011–12	524.00 524.00 1048.00	100	110
10.	किच्छा	159	248.04	2010–11	2010–11 2012–13	282.00 141.00 423.00	50	37
11.	चम्पावत	73	149.65	2010–11	2010–11	191.00	34	25
12.	मसूरी	96	227.52	2010–11	2010–11	255.00	0	24
13.	अल्मोड़ा	217	444.85	2010–11	2010–11	417.00	28	40
14.	जसपुर (फेस–1)	192	280.32	2010–11	2010–11 2012–13	315.00 158.00 473.00	0	96

1	2	3	4	5	6		7	8
15.	जसपुर (फेस–2)	48	74.88	2010–11	2010–11 2012–13	78.00 71.00 149.00	36	01
16.	लण्ढौरा (फेस–1)	264	419.76	2010–11	2010–11 2012–13	505.00 158.00 663.00	0	240
17.	लण्ढौरा (फेस–2)	100	179.00	2010–11	2010–11 2012–13	129.00 111.00 240.00	0	240
18.	हल्द्वानी	501	1127.25	2010–11	2010–11	673.00	32	36
19.	हल्द्वानी काठगोदाम	422	949.50	2010–11	2010–11	593.00	71	27
20.	विकासनगर	194	310.40	2010–11	2010–11 2012–13	167.00 136.00 303.00	0	131
21.	मंगलौर	461	917.39	2010–11	2010–11	672.00	0	225
22.	रूद्रपुर	378	982.80	2012–13	2012–13	764.00	0	0
	योग	5410	10048.6			11040.15	760	2007

नत्थी ''ख''

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 18 पर)

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	जिला योजना में वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल बजट प्राविधान	आवंटित धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि के विरूद्ध आवंटन (% में)
1	2	3	4	5
1.	देहरादून		560.11	19.13%
2.	टिहरी		140.13	4.78%
3.	पौड़ी		162.16	5.53%
4.	उत्तरकाशी		200.57	6.85%
5	हरिद्वार		187.18	6.39%
6	चमोली		179.65	6.13%
7	रूद्रप्रयाग	3008.53	219.62	7.50%
8	नैनीताल		375.55	12.82%
9	ऊधमसिंहनगर		258.17	8.81%
10	पिथौरागढ़		148.04	5.05%
11	बागेश्वर		191.84	6.55%
12	चम्पावत		179.59	6.13%
13	अल्मोड़ा		124.72	4.26%
	कुल योग	3008.53	2927.33	

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 20 पर)

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष	रखे गये श्रमिकों / कार्मिकों की संख्या	स्थान का नाम जहाँ रखे गये	सम्बन्धित ठेकेदार / कम्पनी का नाम पता
1	2	3	4	5	6
1	हरिद्वार	2007–08 (4/07 से 3/08 तक)	05	हरिद्वार	श्री मनोज त्यागी, 105/100 मोहल्ला कीतिपाल ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार
	—"—	2008–09 (4/08 से 3/09 तक)	09	—"—	——तदैव——
	—"—	2008–09 (4/08 से 3/09 तक)	09	—"—	श्री धर्मपाल सिंह, 15 डी श्रीराम नगर कालोनी गोलगुरूद्वारा, ज्वालापुर, हरिद्वार / मै0 चन्देल बिल्डिंग मैटिरियल सप्लायर्स बौगला बहादराबाद, जिला हरिद्वार
	—"—	2009–10 (4/09 से 3/10 तक)	09	—"—	
	—"—	2010–11 (4/10 से 3/11 तक)	07	—"—	
	—"—	2011–12 (4/11 से 3/12 तक)	03	—"—	
	—"—	2012–13 (4/12 से 12/2012 तक)	03	—"—	
	—"—	2012–13 (01/13 से 3/2013 तक)	03	—"—	श्री सुबोध कुमार, ग्राम अमरपुर काली, रुड़की, हरिद्वार
	योग	—	48	—	
2.	उत्तरकाशी	1–9–2007 से वर्तमान तक	01	पुरोला	श्री गिरीश उप्पल, ग्राम व पो0 गुन्दियाटगाँव, तहसील पुरोला, जिला उत्तरकाशी
	योग		01		
3.	टिहरी गढ़वाल	2007–08 से वर्तमान तक	–	–	——शून्य——
4.	देहरादून	2007–08 से वर्तमान तक	04	देहरादून	प्रान्तीय रक्षा दल एवं युवाकल्याण विभाग से दैनिक मजदूरी पर रखे गये हैं।
	—"—	2010–11 से वर्तमान तक	02	देहरादून	——तदैव——
		माह 10/2011 से वर्तमान तक	01	देहरादून	उपनल के माध्यम से नियत वेतन पर लिये गये हैं।
	योग	—	07		

1	2	3	4	5	6
5	पौड़ी गढ़वाल	9/2007 से 10/2010	01	परिमण्डल मण्डल पौड़ी	श्री मंजूर आलम, थाना मोहल्ला, पौड़ी गढ़वाल
		3/2010 से 11/2011	04	—''—	श्री महिपाल सिंह नेगी, सितावपुर देवी रोड, कोटद्वार
		12/2011 से वर्तमान तक	02	—''—	श्री मनमोहन सिंह नेगी, देवीरोड कोटद्वार
		9/2007 से 8/2009 तक	04	प्रखण्ड पौड़ी	श्री मंजूर आलम, थाना मोहल्ला, पौड़ी गढ़वाल
		11/2009 से 2/2013	03	—''—	अध्यक्ष, माँ भुवनेश्वरी, श्रम एवं संविदा स्वायत्त सहकारिता कोटखाल, पौड़ी, गढ़वाल।
		7/2011 से अवतक एवं 11/2012 से वर्तमान तक	02	प्रखण्ड कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल	प्रान्तीय रक्षा दल एवं युवाकल्याण विभाग से दैनिक मजदूरी पर रखे गये हैं।
	योग		16	—	—
6	रूद्रप्रयाग	10/2010 से वर्तमान तक	03	प्रखण्ड रूद्रप्रयाग	मै0 कण्डारी एसोसियेटस, अपर बाजार जोशीमठ
	योग		03	—	—
7	चमोली	3/2009 से दिसम्बर 2011 तक 1/2012 से वर्तमान तक	02	चमोली (गोपेश्वर)	1—श्री रघुबीर सिंह नेगी, ग्राम सितोडा पो0 रोपा जिला चमोली। 2—श्री संजय बर्त्वाल, ग्राम चटेली, पो0 चमोली जिला चमोली।
	योग		02	—	—
8	नैनीताल	6/2009 से 08/2011 तक 09/2011 ये 02/2013 तक	02 02	परिमण्डल मु0 नैनीताल —तदैव—	श्री मुनवर अली ठेकेदार, हल्द्वानी, जिला नैनीताल। मै नरूला कस्ट्रक्शन, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
	योग		04	—	—
9	अल्मोड़ा	01/2011 से 2 फरवरी, 2013 एवं 09/2011 से /2013 तक	04	प्रखण्ड मुख्यालय अल्मोड़ा	मै0 शर्मा एशोसियेट, जाखन देवी, अल्मोड़ा
		03/2011 से 06/2011 तक	03	प्रखण्ड मुख्यालय भिकियासैंण	श्री भुवन चन्द्र जोशी, ग्राम जसपुर, पो0 स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा।
		07/2011 से 01/2012 तक	06	—तदैव—	श्री महिपाल सिंह बिष्ट, ग्राम बड़कोट, पो0 भिकियासैंण, जिला अल्मोड़ा

1	2	3	4	5	6
		02/2012 से 02/2013 तक	06	—तदैव—	श्री ललित सिंह बोरा, ग्राम बघाण, पो0 चिनियानौला, रानीखेत।
	योग		19		
10	ऊधमसिंह नगर	9/2009 से 03/2010 तक	04	प्रखण्ड मुख्यालय रूद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर	श्री मतलूव रहमान, आजाद नगर, हल्द्वानी।
		4/2010 से वर्तमान तक	05	—तदैव—	श्री अलीश अहमद, ठेकेदार।
	योग	—	09	—	
11	पिथौरागढ़	माह 10/2010 से 31—7—2011	01	जनपद पिथौरागढ़	क्रियेटिव सर्विस चन्द्रभागा, पिथौरागढ़।
		8/2011 से वर्तमान तक	01	—"—	मै0 मनीष कन्स्ट्रक्शन, टकाना, पिथौरागढ़ के माध्यम से नियोजित।
		6/2011 से वर्तमान तक	01	परि0 पिथौरागढ़	प्रान्तीय रक्षा दल एवं युवा कल्याण विभाग से दैनिक मजदूर पर रखे गये हैं।
		8/2011 से वर्तमान तक	03	डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़	श्री मोहन लाल, जनचेतना पिथौरागढ़/श्री भगवान सिंह देउप्पा ठेकेदार के माध्यम से
		7/2012 से वर्तमान तक	04	पी0एम0जी0एस0 वाई0 पिथौरागढ़	श्री मोहन लाल महासचिव, जनचेतना पिथौरागढ़ के माध्यम से ।
	योग	—	10		
12	बागेश्वर	7/2012 से वर्तमान तक	02	प्रखण्ड बागेश्वर	श्री मंगल सिंह ऐठाणी/मै0 सी0एस0 कन्सट्रक्शन रानीखेत के माध्यम से
		1/2013 से वर्तमान तक	03	पी0एम0जी0एस0 वाई0 बागेश्वर	मै0 एम0एस0 एसोशिऐटस, सूरज कुण्ड, बागेश्वर।
	योग	—	05		
13	चम्पावत	8/2008 से 2/2010 तक	02	जनपद चम्पावत	मै0 बी0 सरन एण्ड कम्पनी, बस स्टेशन, पिथौरागढ़।
	योग	—	02	—	—
	महायोग	—	—	—	

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 विधान सभा/647—06—03—2014—200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।